

क्रमांक/मुख्या/प्रगति/विधि के/०१/८२

राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

दिनांक १९. २. २००१

मुख्य प्रबन्धक,
राजस्थान परिवहन निगम,

विषय:- पात्रियों की जलपान सुविधा के लिए मार्ग के मध्य ठहराव स्थल
के लिए निविदा बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निगम राजस्थान लिंग नाँव स्टाप, सुपर एक्सप्रेस
रैव डिलेक्स बसे जिनका मार्ग के मध्य में 100 से 125 कि.मी. तक कोई ठहराव स्थल
नहीं है। पात्रियों की जलपान सुविधा हेतु आवश्यक सुविधा प्राप्त हौटल/टाबों पर
ठहराव स्थल निर्धारित किये जाने वाले बाबत निर्णय किया गया है। उक्त निर्णय के अनुसर
दिनांक १९. २. २००१ को निविदा संचान प्रकाशित कराई गई है जिसमें आपसे संबंधित ऐसिया
के इच्छुक व्यक्ति दिनांक २८. २. २००१ तक मध्य समूर्ण उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं
के विवरण सहित प्रार्थना पत्र जमा करायेगे। प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर उच्चतम् प्रस्तावों स्व
अधिक सुविधा प्राप्त हौटल/टाबों की प्राक्षमिकता देते हुए आगारीय कमेटी द्वारा निम्न
बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जावेगा।

१. महिला रैव पुरुषों के लिए अलग-अलग प्रसाधान/सुलभ सुविधा
२. स्वच्छ निःशुल्क पेयजल सुविधा
३. उचित वाहन पार्किंग स्थल
४. पात्रियों को बैठने की समुचित व्यवस्था
५. पात्रियों रैव उनके सामान की पर्याप्त सुरक्षा की सुविधा हो।
६. ठहराव स्थल पर टेलीफोन सुविधा हो।
७. उचित दर रैव उपयुक्त गुणवत्ता की आवश्यकता उपलब्ध कराई जावेगी तबा
विक्री की जाने वाली वस्तुओं को मूल्य सूचों ग्राहकों की सुविधा के लिए बोर्ड
पर लगाई जावे।
८. हौटल/टाबों वालों से ठहरने वाली प्रति बस प्रतिदिन के छिंडी तैयारी के निर्धारित
की गई राशि को गणना कर प्रतिमाह अंतिम निगम कोष में निर्धारित तिथि तक
जमा कराई जाना सुनिश्चित करें।
९. हौटल/टाबों वालों के विरुद्ध यदि किसी यात्री द्वारा अधिक राशि लिये जाने,
कोई हानि होने पर को गई शिकायत के लिए यदि निगम द्वारा/मुख्यालय द्वारा
कोई राशि निर्धारित की जाती है तो इसकी समूर्ण जिम्मेदारी हौटल/टाबे वाले
को होगी।
१०. द्वारा गई उक्त शर्तों के आधार पर एक अनुबन्ध पत्र भी नाँव ज्यूडिशियल स्टाप
पर हौटल द्वारे के अधिकृत व्यक्ति से करवाना होगा।
११. सुरक्षा राशि के रूप में 5000/- रु. बिना ब्याज के निगम कोष में जमा कराई
जावेगी, उक्त राशि शर्तों के उल्लंघन होने पर जप्त करने का अधिकार निगम का
होगा।

स.डी.
कार्यकारी निवेशक प्रशासन

५

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
क्रमांक:-एफ{172-111}/१०/प्रशा०/विके०/2006/332 दिनांक ५.५.०६

परिपत्र

मुख्यालय द्वारा विभिन्न गार्ग पर संचालित वाहनों में यात्रा कर रहे यात्रियों की सामग्री-समय पर परिपत्रों के साध्यम से दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

उन रागी परिपत्रों को अधिलंगन करते हुए सभी मुख्य प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि गार्ग के गाड़ी पड़ने वाले होटल/दावे का रवंय निरीक्षण करें तथा निम्न विन्दुओं को गाड़ी भजार रखते हुये सम्बन्धित होटल/दावे से अनुबन्ध करें:-

1. महिला एवं पुरुषों के लिये अलग-अलग प्रसाधान/सुलभ सुविधा हो।
2. वाहन पार्किंग हेतु उचित स्थल हो।
3. यात्रियों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो।
4. स्वच्छ एवं निःशुल्क पेय जल सुविधा हो।
5. यात्रियों एवं उनके सामान की पूर्ण सुरक्षा की सुविधा हो। अनुबन्धित दावे/होटल के मालिक के स्तर से वाहन के अन्दर सफाई की भी व्यवस्था की जावेगी, जिस हेतु निगम द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी।
6. ठहराव स्थल पर एसटीडी/पीसीआर/टेलीफोन सुविधा हो।
7. होटल/दावे मालिक द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की मूल्य सूची यात्रियों की सुविधा के लिये बोर्ड पर लगायी जावें।
8. आगारीय समिति द्वारा वरतुओं की उचित दर व गुणवत्ता निर्धारित की जावें।
9. अनुबन्धित होटल/दावे के मालिक द्वारा ठहरने वाली प्रति बस प्रति ट्रिप के हिसाब से निर्धारित की गई राशि की गणना कर प्रतिमाह अग्रिम राशि निगम कोष में जमा करवाई जावे तथा उस राशि की ऐवज में आगार टिकिट स्टोर से निर्धारित हाल ही मुख्यालय से जारी क्रम संख्यावार कूपन जारी किये जावें। सम्बन्धित आगार कार्यालय मुख्यालय टिकिट रटोर से प्रकाशित क्रमवार कूपन प्राप्त करें। इन कूपन का विधिवत् लेखा यात्री-टिकेटों की भाँति ही आगार टिकिट स्टोर में संधारित किया जावेगा।
10. सभी मुख्य प्रबन्धक आगार के सभी चालक/परिचालकों को निर्देशित करें कि वह अपनी वाहन का ठहराव यात्रियों के जलपान सुविधा हेतु केवल अनुबन्धित होटल/दावे पर ही करें एवं ठहराव की पुष्टि में परिचालक होटल स्वामी से निर्धारित उक्त क्रम संख्या वाला हस्ताक्षरयुक्त कूपन प्राप्त कर अपने मार्ग विपत्र के राष्ट्र संलग्न कर आगार कार्यालय में पहुँचते ही जाना करायें। सम्बन्धित आगार के दैविंग लिपिक, राजस्व शाखा प्रभारी, प्रबन्धक (वित्त) इसकी नियमित जौच करवायें एवं इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. साम्बन्धित गुख्य प्रबन्धक स्तर से निर्धारित शर्तों के आधार पर एक अनुबन्ध पत्र एक सौ रुपये के नान ज्यूलिशियल स्टाम्प पेपर पर होटल/दावे के मालिक से हस्ताक्षर करवाना होगा तथा उक्त अनुबन्ध पत्र को नोटेरी पब्लिक आथोरिटी से सत्यापित करवाना होगा।
12. साम्बन्धित गुख्य प्रबन्धक स्तर से निर्धारित शर्तों के आधार पर एक अनुबन्ध पत्र एक सौ रुपये के नान ज्यूलिशियल स्टाम्प पेपर पर होटल/दावे के मालिक से हस्ताक्षर करवाना होगा तथा उक्त अनुबन्ध पत्र को नोटेरी पब्लिक आथोरिटी से सत्यापित करवाना होगा।
13. साम्बन्धित आगार द्वारा अनुबन्धित होटल/दावे स्वामी से सुरक्षा राशि के रूप में पांच हजार रुपये विना व्याज के निगम कोष में अनुबन्ध समाप्ति दिनांक तक जमा करवाये जायें।
14. अनुबन्धित होटल/दावे स्वामी द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर आगारीय समिति को सुरक्षा राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. साम्बन्धित आगार द्वारा वयनित होटल/दावे स्वामी से अनुबन्ध एक वर्ष हेतु किया जावेगा तथा इसके पश्चात् सेवायें सन्तोषप्रद रहती हैं तो प्रतिवर्ष दस प्रतिशत चक्रवृति दर से वृद्धि कर अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
16. होटल/दावों वालों के विरुद्ध यदि किसी यात्री से अधिक राशि लिये जाने/कोई हाँगे होने पर कोई शिकायत के लिये यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई भी राशि निर्देश दिये जाते हैं, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी होटल/दावे मालिक की होगी।

17. गार्भ विषय के साथ निर्धारित कूपन रांगन नहीं पाये जाने पर शास्त्री राशि के रूप में एक रौपये सम्बन्धित चालक एवं परिचालक प्रतोक से वसूल किये जावें। अन्यथा शोर्टेज निकाल कर इनके बेतन देयक/अन्य भुगतान देयकों से [जो पहले हो] कठोरता से नियमित वसूल की जावें। इस वसूली हेतु चैकिंग लिपिक व अन्य पर्यावरक जिम्मेदार होंगे। इसका अलग से विधिवत पंजिका का भी संधारण किया जावें।
18. अनाधिकृत ठहराव स्थल पर वाहन रोकने वाले चालक/परिचालक से (प्रत्येक से) पांच सौ रुपये शास्त्री राशि वसूल की जावें एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावें।
19. आगार स्तर के निरीक्षण दल द्वारा मार्ग में चैकिंग के दौरान यदि निगम बस अनाधिकृत होटल पर ठहराव करती हुयी पाये जाने पर निरीक्षण दल चालक की लॉगशीट में अनाधिकृत स्थल पर ठहराव का रिमार्क अंकित कर एक प्रति जब्त कर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ अपने आगार कार्यालय में प्रस्तुत करें। मुख्य प्रबन्धक जब्त लॉगशीट की फोटो प्रति सम्बन्धी वाहन के आगार मुख्य प्रबन्धक को चालक/परिचालक से शास्त्री वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करें। निरीक्षक दल द्वारा चैकिंग के दौरान परिचालक के पास अनुबन्धित होटल/द्वावे पर ठहराव के कूपन की पुष्टि भी करें। कूपन नहीं पाये जाने पर अपेक्षित रिमार्क चालक की लॉगशीट पर अंकित कर एक लॉगशीट की प्रति जब्त कर अपने आगार कार्यालय में प्रस्तुत करें जिसके आधार पर शास्त्री राशि सम्बन्धित चालक/परिचालक से [प्रत्येक से] पांच सौ रुपये वसूल किये जावें। अन्य आगार की वाहन होने की स्थिति में मुख्य प्रबन्धक सम्बन्धित आगार कार्यालय से वसूली की कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित करें।

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक 4.5.06

क्रमांक:—एफ[172-111]/मु०/प्रशा०/विके०/2006/ 332

प्रतिलिपि:—सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. समस्त विभागाध्यक्ष ————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर
2. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर
3. महा प्रबन्धक (अंकेक्षण/संचालन) ————— जोन मुख्यालय, जयपुर
4. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त)/प्रबन्धक (संचालन) रापनि
5. आदेश प्रत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन नियम, जारीपुर

क्रमांक:-एफ[172-111]/३०/प्रशान्त/तिकें/2006/332 दिनांक ५.५.०६


परिपत्र

मुख्यालय द्वारा नियोगित गार्डों पर रोचालित वाहनों में यात्रा कर रहे यात्रियों की जालपान सुविधा को ध्यान में रखते हुये मार्ग के मध्य में उत्तराय स्थल निर्धारित करते हुए राज्य-राज्य पर परिवहन के भाष्यम से दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

उन रार्डी परिपत्रों को अधिलंगन करते हुए सभी मुख्य प्रबन्धकों द्वारा निर्देशित विषय जारी है कि गार्ड के गाड़ी पड़ने वाले होटल/द्वारे का रवान्य निरीक्षण करें तथा निम्न विनुआओं को मध्य नजर रखते हुये सम्बन्धित होटल/द्वारे से अनुबन्ध करें:-

1. महिला एवं पुरुषों के लिये अलग-अलग प्रसाधान/सुलभ सुविधा हो।
2. वाहन परिक्रमा हेतु उचित स्थल हो।
3. यात्रियों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो।
4. स्वच्छ एवं निःशुल्क पेय जल सुविधा हो।
5. यात्रियों एवं उनके सामान की पूर्ण सुरक्षा की सुविधा हो। अनुबन्धित ढारे/होटल के मालिक के स्तर से वाहन के अन्दर सफाई की भी व्यवस्था की जावेगी, जिस हेतु नियम द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी।
6. ठहराव स्थल पर एसटीडी/पीसीओ/टेलीफोन सुविधा हो।
7. होटल/द्वारे गाड़ियों द्वारा विक्रय की जाने वाली वरतुओं की मूल्य सूची यात्रियों की सुपियों के लिये वोर्ड पर लगावी जावे।
8. आगारीय संभिति द्वारा वरतुओं की उचित दर व गुणवत्ता निर्धारित की जावे।
9. अनुबन्धित होटल/द्वारे के मालिक द्वारा ठहरने वाली प्रति बस प्रति ट्रिप के हिसाब से निर्धारित की गई राशि की गणना कर प्रतिमाह अग्रिम राशि नियम कोष में जमा करवाई जावे तथा उस राशि की ऐवज में आगार टिकिट स्टार से निर्धारित डाल ही मुख्यालय से जारी क्रम संख्यावार कूपन जारी किये जावे।
10. सम्बन्धित आगार कार्यालय मुख्यालय टिकिट स्टोर से प्रकाशित ग्रंथवार कूपन प्राप्त करें। इन कूपन का विधिवत लेखा यात्री-टिकिटों की भाँति ही आगार टिकिट स्टोर में संधारित किया जावेगा।
11. सभी मुख्य प्रबन्धक आगार के सभी चालक/परिचालकों को निर्देशित करें कि वह अपनी वाहन का ठहराव यात्रियों के जलपान सुविधा हेतु केवल अनुबन्धित होटल/द्वारे पर ही करें एवं ठहराव की पुष्टि में परिचालक होटल स्वामी से निर्धारित उक्त क्रम संख्या वाला हस्ताक्षरयुक्त कूपन प्राप्त कर अपने मार्ग विषय के साथ संलग्न कर आगार कार्यालय में पहुंचते ही जमा करायें। सम्बन्धित आगार के दैविय लिपिक, राज्य शाखा प्रभारी, प्रबन्धक (वित्त) इसकी नियमित जांच करवायें एवं इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी हों।
12. सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक स्तर से निर्धारित शर्तों के आधार पर एक अनुबन्ध पत्र एक सी रूपये के नाम ज्यूडिशियल स्टाम्प पोर पर होटल/द्वारे के गालिक से उत्तराक्षर घरवाना होगा। तथा उक्त अनुबन्ध पत्र को नोटेरी पब्लिक आधोरीटी से सत्यापित करवाना होगा।
13. सम्बन्धित आगार द्वारा अनुबन्धित होटल/द्वारे रखामी से सुरक्षा राशि के रूप में पांच हजार रुपये दिया जावे जिसमें अनुबन्ध समाप्ति दिनांक तक जमा करवाये जायें।
14. अनुबन्धित होटल/द्वारे स्वामी द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंगन करने पर आगारीय समिति को सुरक्षा राशि जब करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. राज्यनियत आगार द्वारा वयनियत होटल/द्वारे स्वामी से अनुबन्ध एक वर्ष हेतु किया जावेगा तथा इसके पश्चात सेवायें सन्तोषप्रद रहती हैं तो प्रतिवर्ष दस प्रतिशत चक्रवृत्ति दर से वृद्धि कर अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
16. होटल/द्वारों वालों के विलद यदि किसी यात्री या अधिक राशि लिये जाने/कोई हानि होने पर या गई शिकायत के लिये यदि किसी ज्यायालय द्वारा कोई भी राशि होटल/द्वारे गालिक के विलद निर्धारित कर शिकायत कर्ता को दिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी होटल/द्वारे मालिक की होगी।

17. पांच विपक्ष के रास्ते निर्धारित कूपन रालन नहीं पाये जाने पर शारती राशि के रूप में एक रो रूपये राम्बधित चालक एवं परिचालक प्रत्येक से वसूल किये जायेगे अन्यथा शोर्टेज निकाल कर इनके वेतन देयक/अन्य भुगतान देयकों से (जो पहले हो) कठोरता से नियमित वसूल की जावें। इस वसूली हेतु ईकिंग लिपिक व अन्य पर्यवेक्षक डिमोदार होंगे। इसका आला रो विधिवत् पंजिका वा भी संधारण किया जावें।
18. अनाधिकृत ठहराव रथल पर वाहन रोकने वाले चालक/परिचालक से (प्रत्येक से) पांच सौ रुपये शास्ती राशि वसूल की जावें एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावें।
19. आगार स्तर के निरीक्षण दल द्वारा मार्ग में ईकिंग के दौरान, यदि निगम बस अनाधिकृत होटल पर ठहराव करती हुयी पाये जाने पर निरीक्षण दल चालक की लॉगशीट में अनाधिकृत स्थल पर ठहराव का रिमार्क अंकित कर एक प्रति जब्त तार आपनी निरीक्षण रिपोर्ट के रास्ते अपने आगार कार्यालय में प्रस्तुत करें। मुख्य प्रबन्धक जब्त लॉगशीट की फोटो प्रति सम्बन्धी वाहन के आगार मुख्य प्रबन्धक को चालक/परिचालक से शास्ती वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करें। निरीक्षक दल द्वारा ईकिंग के दौरान परिचालक के पास अनुबंधित होटल/द्वारे पर ठहराव के कूपन की पुष्टि भी करें। कूपन नहीं पाये जाने पर अपेक्षित रिमार्क चालक की लॉगशीट पर अंकित कर एक लॉगशीट की प्रति जब्त कर आपने आगार कार्यालय में प्रस्तुत करें जिसके अधार पर शारती राशि अन्य आगार की वाहन होने की स्थिति में मुख्य प्रबन्धक सम्बन्धित आगार कार्यालय से वसूली की कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित करें।




प्रबन्ध निदेशक

दिनांक 4.5.06

क्रमांक:-एफ[172-111]/मु0/प्रशा0/विके0/2006/ 332
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. समस्त विभागाध्यक्ष ————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर
2. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर
3. गहा प्रबन्धक (अंकेक्षण/संचालन) ————— जोन मुख्यालय, जयपुर
4. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त)/प्रबन्धक (संचालन) रापनि
5. आदेश पत्रावली।



कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
परिवहन मार्ग, जयपुर - 302 001
Tel. : 2373043, 2373044, 2375487, 2375585 फैक्स 0141 - 5116021

क्रमांक:-एफ(196) / मु० / प्रश्ना / वि.के. / 11 / ३६६

दिनांक:- ०१.५.११

गुरुव्य प्रबन्धक
राजस्थान परिवहन निगम

विषय:- अधिनस्थ मार्गों पर यात्रियों को जलपान/शुलभ सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु
निविदा आमंत्रित करने बाबत।

निर्देशानुसार आपके अधिनस्थ मार्गों के सभ्य यात्रियों को जलपान एवं शुलभ सुविधायें
उपलब्ध करवाने हेतु वर्तमान अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के 02 माह पूर्व संलग्न प्राक्लियानुसार
निविदा का प्रकाशन करवाकर निविदा आमंत्रित कर निम्न बिन्दुओं के अनुसार निर्णित कर सम्बन्धी
रेस्टोरेंट/ढाबा स्वामी से अनुबन्ध करावें -

1. रेस्टोरेंट/ढाबा की निविदा परिपत्र क्रमांक 332 दिनांक 4.5.06 के कम संख्या 1 से
05 पर अंकित यात्रियों को उपलब्ध करवाई जाने वाली, आवश्यक सुविधायें एवं
खाने-पीने के पदार्थों की अच्छी गुणवत्ता के आधार पर किया जाना है और निगम को
कैवल देय उच्च बस ठहराव के शुल्क के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना है।
 2. ऐसी स्थिति में आगारीय समिति द्वारा आमंत्रित निविदा का निर्णय खाने-पीने के पदार्थों
की अच्छी गुणवत्ता + निगम को प्रति बस का दिये जाने वाले ठहराव शुल्क के आधार
पर किया जाना है।
 - (1) इस सबध में उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 5 पर (या इनके अतिरिक्त
और भी) अंकित प्रत्येक यात्री सुविधा के 10 अंक दिये जाने हैं, जिसके कुल 50
अंक होंगे, जो सम्बन्धी मुख्य प्रबन्धक द्वारा निविदा के रेस्टोरेंट/ढाबे पर
उपलब्ध सुविधा के आधार पर दिये जावें।
 - (2) निगम को प्रति बस प्रतिट्रिप की देय ठहराव शुल्क राशि के 50 अंक होंगे।
इस प्रकार आगारीय समिति द्वारा निविदा निम्न प्रक्रियानुसार निर्णित की
जावेगी:-
- (1) यात्रियों को प्रदत्त सुविधा के निर्धारित अंक 50 में से दिये गये अंक = A
(2) देय बस ठहराव शुल्क के निर्धारित अंक 50 में से दिये जावें = (निविदा में
अंकित प्रति बस दर)..... X $\frac{1}{2}$ = B

इस प्रकार जिसके अंक (A+ B) अधिक हो आगारीय समिति उस
निविदादाता का चयन कर उससे नीतिनुसार सुरक्षा राशि निगम कोष में जमा करवाकर, अनुबन्ध
कर, आवश्यक कार्यालय-आदेश जारी किये जावें।


समय-समय पर अधिनस्थ मार्गों पर यात्रियों को जलपान एवं शुलभ सुविधायें
प्रदान करने की आवश्यकता होने पर सम्बन्धी मुख्य प्रबन्धक उक्त प्रक्रियानुसार कार्यपाली
सम्पादित करेंगे साथ ही इसकी निविदा प्राप्ती के लिए 30 दिन का समय दिया जाना है।

संलग्न:-निविदा प्रमाण/शर्तें,

अनुबन्ध पत्र का प्रारूप पृष्ठ-२५

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
दिनांक:- ०१.५.११

क्रमांक:-एफ(196) / मु० / प्रश्ना / वि.के. / 11 / ३६६
प्रतिलिपि:- समस्त जोनल मैनेजर रारापपनियम-----जोन।


कार्यकारी प्रबन्धक (विज्ञापन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

परिवहन मार्ग, जयपुर - 302 001

Tel. : 2373043, 2373044, 2375487, 2375585 फैक्स 0141 - 5116021

क्रमांक:-एफ(196) / मु0 / प्रशा / वि.के. / 11 / 366

दिनांक:- ०९.५.११

मुख्य प्रबन्धक
राजस्थान परिवहन निगम

विषय:- अधिनस्थ मार्गों पर यात्रियों को जलपान / सुलभ सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु
निविदा आमंत्रित करने बाबत।

निर्देशानुसार आपके अधिनस्थ मार्गों के मध्य यात्रियों को जलपान एवं सुलभ सुविधायें
उपलब्ध करवाने हेतु वर्तमान अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के 02 माह पूर्व संलग्न प्रारूपानुसार
निविदा का प्रकाशन करवाकर निविदा आमंत्रित कर निम्न बिन्दुओं के अनुसार निर्णीत कर सम्बन्धी
रेस्टोरेंट / डाबा स्वामी से अनुबन्ध करावे -

1. रेस्टोरेंट / डाबा की निविदा परिपत्र क्रमांक 332 दिनांक 4.5.06 के क्रम संख्या 1 से
05 पर अंकित यात्रियों को उपलब्ध करवाई जाने वाली आवश्यक सुविधायें एवं
खाने-पीने के पदार्थों की अच्छी गुणवत्ता के आधार पर किया जाना है और निगम को
केवल देय उच्च बस ठहराव के शुल्क के आधार पर निर्णीत नहीं किया जाना है।
2. ऐसी स्थिति में आगारीय समिति द्वारा आमंत्रित निविदा का निणय खाने-पीने के पदार्थों
की अच्छी गुणवत्ता + निगम को प्रति बस का दिये जाने वाले ठहराव शुल्क के आधार
पर किया जाना है।
(1) इस संबंध में उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 5 पर (या इनके अतिरिक्त
और भी) अंकित प्रत्येक यात्री सुविधा के 10 अंक दिये जाने हैं, जिसके कुल 50
अंक होंगे, जो सम्बन्धी मुख्य प्रबन्धक द्वारा निविदा के रेस्टोरेंट / डाबे पर
उपलब्ध सुविधा के आधार पर दिये जावें।
(2) निगम को प्रति बस प्रतिट्रिप की देय ठहराव शुल्क राशि के 50 अंक होंगे।
इस प्रकार आगारीय समिति द्वारा निविदा निम्न प्रक्रियानुसार निर्णीत की
जावेगी:-
(1) यात्रियों को प्रदत्त सुविधा के निर्धारित अंक 50 में से दिये गये अंक = A
(2) देय बस ठहराव शुल्क के निर्धारित अंक 50 में से दिये जावेगे = (निविदा में
अंकित प्रति बस दर) $\times \frac{1}{2} = B$

इस प्रकार जिसके अंक (A + B) अधिक हो आगारीय समिति उस
निविदादाता का चयन कर उससे नीतिनुसार सुरक्षा राशि निगम कोष में जमा करवाकर, अनुबन्ध
कर, आवश्यक कार्यालय- आदेश जारी किये जावें।
समय-समय पर अधिनस्थ मार्गों पर यात्रियों को जलपान एवं सुलभ सुविधायें
प्रदान करने की आवश्यकता होने पर सम्बन्धी मुख्य प्रबन्धक उक्त प्रक्रियानुसार कार्यालय
सम्मानित करेंगे साथ ही इसकी निविदा प्राप्ति के लिए 30 दिन का समय दिया जाना है।

संलग्न:-निविदा प्रस्तुति / शर्तें,
अनुबन्ध पत्र का प्रारूप पृष्ठ- ०५

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
दिनांक:- ०९.५.११

क्रमांक:-एफ(196) / मु0 / प्रशा / वि.के. / 11 / 366
प्रतिलिपि:- समस्त जोनल मैनेजर रारापपनिगम —————— जोन ।

कार्यकारी प्रबन्धक (विज्ञापन)

निगम की बसों के मार्ग के मध्य यात्रियों को जलपान एवं सुलभ सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु

(यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावें, उसी के प्रयोजनार्थ है)

निविदा-प्रपत्र

निविदा दाता की
फोटो के
लिये स्थान

निविदा प्रपत्र संख्या:-एफ-/-मु0प्र0-/-11/-

दिनांक:-

निविदा प्रपत्र की राशि जमा रुपये 200/-रु0

अक्षर:- दो सौ मात्र नगद/रसीद सं0
दिनांक:-

मुख्य प्रबन्धक आगार

कार्यालय -

निवास -

रुपये -

अक्षरे -

5. धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा की रसीद -

सं./ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक नम्बर व दिनांक

6. प्रतिबंस, प्रतिट्रिप, देय वाहन ठहराव शुल्क

रुपये -

शब्दों में -

7. व्यवसायिक अनुभव व उसका विवरण

8. निगम से पूर्व में वाहनों के ठहराव हेतु अनुबन्ध

किया हो तो उसका पूर्ण विवरण

9. निविदादाता का बैंक आकाउन्ट किस बैंक व शाखा

में है, को नम्बर सहित दर्शावें

10. निविदादाता की चल व अचल संपति का

विवरण सत्यापित प्रति सहित:-

11. अन्य विवरण

हस्ताक्षर निविदादाता

पूरा नाम:-

हैसियतः-- मालिक / पार्टनर

पूर्ण पता:-

एक सौ रुपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम आगार जिसे आगे निगम अथवा प्रथम पक्ष उल्लेखित किया जावेगा एवं अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट (का नाम) स्थान के मालिक को जिसे इस अनुबन्ध पत्र में "द्वितीय पक्ष" के रूप में उल्लेखित किया जावेगा, के मध्य पारस्परिक सहमति से बिना किसी दबाव के अंकित एवं निष्पादित किया जाता है।

निगम की बसों के मार्ग में यात्रियों को जलपान व सुलभ सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु अनुबन्ध की शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. द्वितीय पक्ष महिला एवं पुरुषों के लिये अलग-अलग प्रसाधान/सुलभ सुविधा अच्छी किस्त के उपलब्ध करायेगा।
2. द्वितीय पक्ष निगम वाहनों के पार्किंग हेतु उचित स्थल उपलब्ध करायेगा।
3. द्वितीय पक्ष यात्रियों के बैठने की पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायेगा एंव उसके कर्मचारी यात्रियों से मधुर भाषा में व्यवहार करेंगे एंव शालीनता पूर्वक सेवा करने को तत्पर रहेंगे।
4. द्वितीय पक्ष यात्रियों को स्वच्छ एवं निःशुल्क पेय जल सुविधा उपलब्ध करायेगा।
5. द्वितीय पक्ष यात्रियों एवं उनके सामान व निगम बस की पूर्ण सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता व मूल्यसूची (जो एम.आर.पी. मूल्य से अधिक न हो) प्रथम पक्ष से अनुमोदन करवाकर यात्रियों की सुविधा के लिये उचित स्थल पर बोर्ड पर लगायेगा। जिस पर निगम के टोल फी नम्बर 1800 2000 103 भी लिखे जायेंगे।
7. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की ठहरने वाली प्रति बस प्रति ट्रिप के हिसाब से निर्धारित की गई वाहन ठहराव शुल्क की गणना कर प्रतिमाह अप्रिम राशि निगम कोष में जमा करायेगा।
8. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की ठहरने वाली वाहनों की पंजिका भी दैनिक संधारित करेगा।
9. द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एंव निविदा/अनुबन्ध शर्तों की पालना करनी होगी। द्वितीय पक्ष द्वारा आदेशों एंव निविदा/अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त करने व एक माह का नोटिस देते हुए अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. किसी यात्री द्वारा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध शिकायत करने पर प्रथम पक्ष को शिकायत की जांच करने पर शिकायत सही पाये जाने पर शास्ती करने का अधिकार होगा। जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा 07 दिवस में अनिवार्य रूप से निगम अधिकार होगा। जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा 07 दिवस में अनिवार्य रूप से निगम अधिकार होगा। जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा 07 दिवस में अनिवार्य रूप से निगम अधिकार होगा। जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा 07 दिवस में अनिवार्य रूप से निगम अधिकार होगा।
11. द्वितीय पक्ष द्वारा यदि किसी यात्री से अधिक राशि लिये जाने / कोई हानि होने पर की गई शिकायत के लिये यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई भी राशि द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निर्धारित कर शिकायतकर्ता को दिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

12. प्रतिवास, प्रतिट्रिप का ठहराव शुल्क रूपये मात्र) होगा। रूपये (अक्षरे राशि
13. यह अनुबन्ध प्रथमतः विनांक वर्ष) के लिये किया जाता है। एक वर्ष की अधिक समाप्ति के बाद यदि रेवायें सन्तोषप्रद एवं कोई राशि बकाया नहीं होने पर दोनों पक्षों की आपरी सहमति होने पर प्रतिवर्ष 10 तक (एक प्रतिशत अक्षवृत्ति दर से वृद्धि कर अनुबन्ध का नवीनीकरण करना; एक—एक वर्ष बढ़ाते हुए अधिकतम 03 वर्ष तक विनाया जा सकेगा। नवीनीकरण की विधि में अनुबन्ध—पत्र के नीचे पृथक से प्रथम पक्ष द्वारा प्रविष्टी की जावेगी, जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे। तीन वर्ष की अधिक समाप्ति से 02 माह पूर्व पुनः निविदा आमन्त्रित की जावेगी।
14. द्वितीय पक्ष के ढाबे/रेस्टोरेन्ट पर प्रथम पक्ष वी वाहन का ठहराव समय 15 मिनट का होगा।
15. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की प्रत्येक वाहन के रुकने पर निर्धारित कम संख्या वाला हस्ताक्षरयुक्त कूपन जारी कर परिचालक को देगा। वाहन के रुकने पर द्वितीय पक्ष द्वारा परिचालक को कूपन जारी नहीं करने पर प्रति वाहन 500 रुपये निगम कोष में जमा कराने होंगे।
16. द्वितीय पक्ष को अनुबन्धित ढाबे/रेस्टोरेन्ट पर साफ--सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
17. द्वितीय पक्ष को ढाबे/रेस्टोरेन्ट 24 घन्टे संचालित करना होगा। होटल/ढाबा बन्द रहने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही/शास्ती वसूल की जावेगी।
18. द्वितीय पक्ष को यह अनुबन्ध एक वर्ष तक चालू रखना अनिवार्य होगा। एक वर्ष के पश्चात यदि द्वितीय पक्ष अपना यह अनुबन्ध चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माहपूर्व इसकी सूचना प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय पक्ष द्वारा तीन माह का नोटिस दिये बिना यह अनुबन्ध समाप्त करने पर उसकी पूर्व मेजमा धरोहर/सुरक्षा राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त करली जावेगी।
19. अनुबन्ध के कियान्वयन शर्तों एवं अनुबन्ध के निर्विचन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णयक होंगे जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिये प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी हैं एवं उनको ही एकल पंच निर्णयक के लिये सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णयक/न्यायालय का कार्यक्षेत्र/कार्यस्थल जयपुर होगा।
20. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को जारी किये जाने वाले कोई नोटिस उसके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषित कर दिया जाता है अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दिया जाता है तो उनकी तामिल पूर्ण समझी जावेगी।
21. द्वितीय पक्ष अनुबन्धित ढाबे/रेस्टोरेन्ट पर किसी भी प्रकार की नशीली वरतुओं को जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस आदि जू तो रखेगा और न ही बेचेगा तथा न ही द्वितीय पक्ष व उसके कर्मचारी किसी नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे।
22. द्वितीय पक्ष वाहन ठहराव शुल्क के अलावा देय समरत करों को जो किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा। लाईसेंस अथवा परमिट लेने की आवश्यकता होने पर वह स्वयं की जिम्मेदारी पर देय फीस का भुगतान कर प्राप्त करेगा।

- 23 द्वितीय पक्ष के विरुद्ध किसी भी तरह की राशि बकाया रहने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा उसका लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जावेगा तथा बकाया राशि की वसूली उसकी जमा धरोहर / सुरक्षा राशि में से करने के विरुद्ध द्वितीय पक्ष न्यायालय में कोई विवाद नहीं ले जा सकेगा ।
- 24 द्वितीय पक्ष की जमा सुरक्षा राशि में से निगम द्वारा बकाया राशि का समायोजन किये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष लिखित सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर पुनः सुरक्षा राशि जमा कराने लिये बाध्यकारी होगा व सुरक्षा राशि की पूर्ति करेगा । ऐसा नहीं करने पर द्वितीय पक्ष का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा । इन शर्तों को दोनों पक्ष खीकार करते हैं व आज दिनांक को हस्ताक्षरित किये गये ।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

पक्ष

गवाह

1

2

हस्ताक्षर द्वितीय

गवाह

1

2

(नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाया जावें)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

निविदा शर्तें

निगम की बसों के मार्ग में यात्रियों को जलपान व सुलभ सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु निविदा की शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा गहिला एवं पुरुषों के लिये अलग-अलग अच्छे किरम के प्रसाधान/सुलभ सुविधा उपलब्ध करायेगा।
2. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा निगम वाहनों के पार्किंग हेतु उचित स्थल उपलब्ध करायेगा।
3. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा यात्रियों के बैठने की पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायेगा एवं उसके कर्मचारी यात्रियों से मधुर भाषा में व्यवहार करेंगे एवं शालीनता पूर्वक सेवा करने को तत्पर रहेंगे।
4. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा यात्रियों को स्वच्छ एवं निःशुल्क पेय जल सुविधा उपलब्ध करायेगा।
5. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा यात्रियों एवं उनके सामान व निगम बस की पूर्ण सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
6. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता व मूल्य सूची (जो एम.आर.पी. मूल्य से अधिक न होवे) प्रथम पक्ष से अनुमोदन करवाकर यात्रियों की सुविधा के लिये उचित स्थान पर बोर्ड पर लगायेगा। जिस पर निगम का टोल फी नम्बर 1800 2000 103 भी लिखे जायेंगे।
7. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा निगम की ठहरने वाली प्रति बस प्रति ट्रिप के हिसाब से निर्धारित की गई वाहन ठहराव शुल्क की गणना कर प्रतिमाह अग्रिम राशि निगम कोष में जमा करायेगा।
8. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा निगम की ठहरने वाली वाहनों की पंजिका भी दैनिक संधारित करेगा।
9. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि 5,000/-रु. (अक्षरे पांच हजार रु.मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नगद जमा की रसीद सलग्न करनी होगी। प्रथम पक्ष द्वारा कार्यआदेश जारी करने की दिनांक से 10 दिवस के अन्दर द्वितीय पक्ष को 5,000/-रु. (अक्षरे पांच हजार रुपये मात्र) सुरक्षा राशि डी.डी./बैंकर्स चैक/नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवं सुरक्षा राशि बिना व्याज के अनुबन्ध समाप्ति के एक माह बाद तक निगम कोष में जमा रहेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा कार्यआदेश जारी दिनांक के 10 दिवस के अन्दर आवंटित व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त कर जारी कार्यआदेश रद्द कर दिया जावेगा व कमशः द्वितीय तृतीय उच्चतम भिविदादाता को कार्यआदेश जारी कर दिया जावेगा अथवा पुनः निविदा आमन्त्रित कर कार्यआदेश जारी किया जा सकेगा।
10. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निविदा शर्तों की पालना करनी होगी। द्वितीय पक्ष द्वारा आदेशों एवं निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त करने व एक माह का नोटिस देते हुए कार्यआदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा।
11. किसी यात्री द्वारा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध शिकायत करने पर प्रथम पक्ष को शिकायत की जाचं करने पर शिकायत सही पाये जाने पर शास्त्री करने का अधिकार होगा। जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा 07 दिवस में अनिवार्य रूप से निगम कोष में जमा कराना होगा अन्यथा प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष की जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि में से प्रस्तावित शास्त्री राशि समायोजन करली जावेगी।
12. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा यदि किसी यात्री से अधिक राशि लिये जाने /कोई हानि होने पर की गई शिकायत के लिये यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई भी राशि अनुबंधित होटल-ढाबा स्वामी के विरुद्ध निर्धारित कर शिकायतकर्ता को दिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

- 13 निगम एवं अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के मध्य अनुबन्ध प्रथमतः एक वर्ष के लिये किया जावेगा तथा इसके पश्चात् यदि सैवायै सन्तोषप्रद एवं कोई राशि बकाया नहीं होने पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति होने पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बकाया नहीं होने पर वृद्धि कर अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जा सकेगा। अनुबन्ध की चकवृत्ति दर से वृद्धि कर अनुबन्ध की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।
- 14 अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के ढाबे-रेस्टोरेन्ट पर निगम की वाहन का ठहराव समय 15 मिनट का होगा।
- 15 अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी निगम की प्रत्येक वाहन के रुकने पर निर्धारित कम संख्या वाला हस्ताक्षरयुक्त कूपन जारी कर परिचालक को देगा। वाहन के रुकने पर अनुबंधित ढाबा-रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा परिचालक को कूपन जारी नहीं करने पर प्रति वाहन 500 रुपये निगम कोष में जमा कराने होंगे।
- 16 अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को अपने होटल ढाबे पर साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
- 17 अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को ढाबा/रेस्टोरेन्ट 24 घन्टे संचालित करना होगा। होटल /ढाबा बन्द रहने की शिकायत प्राप्त होने पर निगम, द्वारा अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही/शास्ती वसूल की जावेगी।
18. द्वितीय पक्ष को यह व्यवसाय एक वर्ष तक चालू रखना अनिवार्य होगा। एक वर्ष की अवधि के पश्चात् यदि द्वितीय पक्ष अपना यह व्यवसाय चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व इसकी सूचना प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय पक्ष द्वारा तीन माह का नोटिस दिये बिना यह व्यवसाय समाप्त करने पर उसकी पूर्व में जमा धरोहर व सुरक्षा राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त करली जावेगी।
19. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के कियाच्यन शर्तों एवं अनुबन्ध के निर्विचन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए निगम को अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णयक होंगे जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिये प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी हैं एवं उनको ही एकल पंच निर्णयक के लिये सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णयक/न्यायालय का कार्यक्षेत्र/कार्यस्थल जयपुर होगा।
20. निगम द्वारा अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को जारी किये जाने वाले कोई नोटिस उसके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषित कर दिया जाता है अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दिया जाता है तो उनकी तामिल पूर्ण समझी जावेगी।
21. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी अपने ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं को जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस आदि न तो रखेगा और न ही बेचेगा तथा न ही वह स्वयं एवं उसके कर्मचारी किसी नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे।
22. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी वाहन ठहराव शुल्क के अलावा देय समर्त करों को जो किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा। लाईसेंस अथवा परमिट लेने की आवश्यकता होने पर वह स्वयं की जिम्मेदारी पर देय फीस का भुगतान कर प्राप्त करेगा।
23. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के विरुद्ध किसी भी तरह की राशि बकाया रहने की स्थिति में निगम द्वारा उसका लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जावेगा तथा बकाया राशि की वसूली उसकी जमा धरोहर व सुरक्षा राशि में से समायोजन करने के विरुद्ध द्वितीय पक्ष न्यायालय में कोई विवाद नहीं ले जा सकेगा व समायोजित धरोहर /सुरक्षा राशि को द्वितीय पक्ष द्वारा पुनः 15 दिवस में निगम कोष में जमा कराना होगा।
24. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी की जमा सुरक्षा राशि में से निगम द्वारा बकाया राशि का समायोजन किये जाने की स्थिति में अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा लिखित सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर पुनः सुरक्षा राशि जमा कराने लिये बाध्यकारी होगा व सुरक्षा राशि की पूर्ति करेगा। ऐसा नहीं करने पर अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी का कार्यादेश निरस्त कर दिया जावेगा।
25. यात्रियों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के अतिरिक्त उसी स्थान पर अन्य ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी से अनुबन्ध कर सकेगा। इस ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को इस बारे में किसी तरह का एतरात उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
26. जिस साईड में निगम बसें रुकती हैं, उसी साईड में प्रस्तावित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्थित होना चाहिये।

- 27 ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी को स्थित ढाबा / रेस्टोरेन्ट पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से अनुबंधित है कि एक बोर्ड लगाना होगा। जिसे अनुबन्ध निरस्त / समाप्ति की स्थिति में तुरन्त हटाना होगा।
- 28 यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो निविदादाता को लाईसेंस प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे :-
- 1 निविदादाता के नाम पर जो चल एवं अचल संपत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल एवं अचल संपत्ति नहीं है तो उसके गारंटर की चल एवं अचल संपत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति।
 - 2 निविदादाता के नाम पते केदस्तावेज की प्रमाणित प्रति। (पुष्टि में भतदाता परिचयन पत्र / वर्तमान झाइविंग लाईसेंस / राशनकार्ड / पैन कार्ड / इनकम टैक्स रिटर्न की प्रमाणित प्रति)
 - 3 निविदादाता अथवा निविदादाता के गारंटर को 100 रुपये के भारतीय गैर न्यायाधिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जब तक वह निगम का लाईसेंसी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति वह अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विक्रय नहीं करेगा। यह शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।
- 29- निविदा प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगे।
- 30- निविदा प्रस्ताव सरल एवं शुद्ध भाषा में होंगे तथा किसी प्रकार की कांट-छांट न हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक, 2 अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें।
- 31- निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
- 32- यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/वाद विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
- 33- संलग्न घोषणा पत्रको भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
- 34- मैंने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(शर्तों की स्वीकृति हित)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक: एफ-321/मु०/प्रशा/विके/2016/ ५७७

दिनांक: २३।८।१६

मुख्य प्रबन्धक,

राजस्थान परिवहन निगम,

.....आगार।

विषय:-निगम वाहनों के मार्गों पर ठहराव हेतु ढाबे/रेस्टोरेन्ट अधिकृत करने की निविदा की शर्तों के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-इस कार्यालय के पत्रांक 366 दिनांक 09.05.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत निगम वाहनों के मार्गों पर ठहराव हेतु ढाबे/रेस्टोरेन्ट अधिकृत करने की निविदा की शर्तों में आंशिक संशोधन किया गया है, जो की पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। अतः वर्तमान में अनुबंधित ढाबे/रेस्टोरेन्ट का अनुबंध नवीनीकरण करते समय अथवा नए ढाबे/रेस्टोरेन्ट की निविदा एवं अनुबंध करते समय निविदा की शर्तों में संलग्न अनुसार परिवर्तन कर अनुबंध किया जावे। निविदा शर्तों एवं अनुबंध के प्रावधानों में प्रस्तावित उपर्युक्त संशोधनों पर वित्तीय सलाहकार की सहमति है तथा प्रबन्ध निदेशक से अनुमोदित है।

संलग्न:-उक्तानुसार 4


 (डॉ प्रतिभा सिंह)
 कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

निविदा शर्तें

निगम की बसों के मार्ग में यात्रियों को जलपान व सुलभ सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु ढाबे/रेस्टोरेन्ट अधिकृत करने हेतु निविदा की शर्तें :-

1. यह अनुबन्ध प्रथमतः पांच वर्ष के लिये होगा। जिसके ठहराव शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की चक्रवृत्ति दर से वृद्धि की जाएगी।
2. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी महिला एवं पुरुषों के लिये अलग-अलग अच्छे किस्म के प्रसाधान/सुलभ सुविधा उपलब्ध करायेगा।
3. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी निगम वाहनों के पार्किंग हेतु उचित स्थल उपलब्ध करायेगा।
4. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी यात्रियों के बैठने की पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायेगा एवं उसके कर्मचारी यात्रियों से मधुर भाषा में व्यवहार करेंगे एवं शालीनता पूर्वक सेवा करने को तत्पर रहेंगे।
5. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी यात्रियों को स्वच्छ एवं निःशुल्क पेय जल सुविधा उपलब्ध करायेगा।
6. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी यात्रियों एवं उनके सामान व निगम बस की पूर्ण सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
7. अनुबंधित ढाबा /रेस्टोरेन्ट पर सी सी टी वी कैमरे लगे होने चाहिए जिनकी रिकार्डिंग एक माह तक सुरक्षित रखनी होगी।
8. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर आगारीय कमेटी द्वारा अनुमोदित मूल्य सूची (बड़े अक्षरों में) लगावानी होगी जो सदैव कैमरे की नजर में रहनी चाहिए।
9. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा निगम की ठहरने वाली वाहनों की पंजिका भी दैनिक संधारित करेगा।
10. निविदादाता ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि 5,000/-रु. (अक्षरे पांच हजार रु.मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नगद जमा की रसीद सलग्न करनी होगी। निविदादाता को कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से 10 दिवस के अन्दर 20,000/50,000 रुपये सुरक्षा राशि (आगारीय कमेटी के निर्णयानुसार) की डी.डी./बैंकर्स चैक/नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवं सुरक्षा राशि बिना ब्याज के अनुबन्ध समाप्ति के एक माह बाद तक निगम कोष में जमा रहेगी। निविदादाता द्वारा कार्य आदेश जारी दिनांक के 10 दिवस के अन्दर आवंटित व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर निगम, निविदादाता की जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त कर जारी कार्य आदेश रद्द कर दिया जावेगा व कमशः द्वितीय, तृतीय उच्चतम निविदादाता को कार्य आदेश जारी कर दिया जावेगा अथवा पुनः निविदा आमन्त्रित कर कार्यआदेश जारी किया जा सकेगा।
11. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निविदा शर्तों की पालना करनी होगी। अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट द्वारा आदेशों एवं निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर निगम को जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त करने व एक माह का नोटिस देते हुए कार्यआदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी उत्तरदायी होगा।
12. किसी यात्री द्वारा अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट के विरुद्ध शिकायत करने पर निगम द्वारा शिकायत की जांच करने एवं शिकायत के सही पाये जाने की स्थिति में प्रथम शिकायत पर 1000/- रुपये व द्वितीय शिकायत पर 5000/- रुपये शास्ती करने का अधिकार होगा। इसके बाद शिकायत प्राप्त होने पर धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि जब्त कर अनुबन्ध को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
13. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा यदि किसी यात्री से अधिक राशि लिये जाने /कोई हानि होने पर की गई शिकायत के लिये यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई भी राशि अनुबंधित होटल-ढाबा स्वामी के विरुद्ध निर्धारित कर शिकायतकर्ता को दिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी की होगी।
14. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर निगम की वाहन का ठहराव समय 15 मिनट का होगा।

Bm

- 15 अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी निगम की प्रत्येक वाहन के रुकने पर निर्धारित कम संख्या वाला हस्ताक्षरयुक्त कूपन जारी कर परिचालक को देगा। वाहन के रुकने पर अनुबंधित ढाबा- रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा परिचालक को कूपन जारी नहीं करने पर प्रति वाहन 500 रुपये निगम कोष में जमा कराने होंगे।
- 16 अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी को अपने होटल ढाबे पर साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
- 17 अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी को ढाबा / रेस्टोरेन्ट 24 घण्टे संचालित करना होगा। होटल / ढाबा बन्द रहने की शिकायत प्राप्त होने पर निगम द्वारा अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी के विरुद्ध 1,000/- प्रतिदिन शास्ति वसूल की जावेगी।
- 18 अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी को यह व्यवसाय कम से कम एक वर्ष तक चालू रखना अनिवार्य होगा। यदि अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी एक वर्ष से पूर्व व्यवसाय बन्द करता है तो उसकी जमा धरोहर व सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी। एक वर्ष की अधिक है के पश्चात यदि अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी अपना यह व्यवसाय चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व इसकी सूचना निगम को प्रस्तुत करनी होगी। अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा तीन माह का नोटिस दिये बिना यह व्यवसाय समाप्त करने पर उसकी पूर्व में जमा धरोहर व सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त करली जायेगी।
- 19 अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट की कियान्वयन शर्तों एवं अनुबन्ध के निर्विचयन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए निगम के अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय एकमात्र पंच निर्णयक होंगे जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले / विवाद को पंच निर्णय के लिये प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय / पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद के अधिकारी हैं एवं उनको ही एकल पंच निर्णयक के लिये सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णयक / न्यायालय का कार्यक्षेत्र / कार्यरथल जयपुर होगा।
- 20 निगम द्वारा अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी को जारी किये जाने वाले कोई नोटिस उसके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषित कर दिया जाता है अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दिया जाता है तो उनकी तामिल पूर्ण समझी जावेगी।
- 21 अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी अपने ढाबा / रेस्टोरेन्ट पर किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं को जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस आदि न तो रखेगा और न ही बेचेगा तथा न ही वह स्वयं एवं उसके कर्मचारी किसी नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे।
- 22 अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा ठहराव शुल्क के अलावा निर्धारित दर से सेवाकर किसी भी तरह की राशि बकाया रहने वर्तमान में 15 प्रतिशत) का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त देय समस्त करों को जो किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा। लाईसेंस अथवा परमिट लेने की आवश्यकता होने पर वह स्वयं की जिम्मेदारी पर देय फीस का भुगतान कर प्राप्त करेगा।
- 23 अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी के विरुद्ध किसी भी तरह की राशि बकाया रहने की स्थिति में निगम द्वारा उसका लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जावेगा तथा बकाया राशि की वसूली उसकी जमा धरोहर व सुरक्षा राशि में से समायोजन करने के विरुद्ध अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी न्यायालय में कोई विवाद नहीं ले जा सकेगा व समायोजित धरोहर / सुरक्षा राशि को अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी स्थारा पुनः 15 दिवस में निगम कोष में जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर द्वारा पुनः 15 दिवस में निगम कोष में जमा कराना होगा। अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी का कार्यादेश निरस्त कर शेष जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 24 यात्रियों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस अनुबंधित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी के अतिरिक्त उसी स्थान पर अन्य ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी से अनुबन्ध कर सकेगा। इस ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी को इस बारे में किसी तरह का एतराज उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 25 जिस साईड में निगम बसें रुकती हैं, उसी साईड में प्रस्तावित ढाबा / रेस्टोरेन्ट स्थित होना चाहिये।

८८

दाबा / रेस्टोरेन्ट स्वामी को स्थित दाबा / रेस्टोरेन्ट पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से अनुबंधित है का एक बोर्ड लगाना होगा। जिसे अनुबन्ध निरस्त / समाप्ति की स्थिति में तुरन्त हटाना होगा।

यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो निविदादाता को लाईसेंस प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे : -

- 1 निविदादाता के नाम पर जो चल एंव अचल संपत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित गारंटर की चल एंव अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति ।
- 2 निविदादाता के नाम पते केदस्तावेज की प्रमाणित प्रति । (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र / वर्तमान ड्राईविंग लाईसेंस / राशनकार्ड / पैन कार्ड / इनकम टेक्स रिटर्न की प्रमाणित प्रति) ।
- 3 निविदादाता अथवा निविदादाता के गारंटर को 100 रुपये के भारतीय गैर न्यायाधिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जब तक वह निगम का लाईसेंसी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति वह अपनी चल एंव अचल संपत्ति का विक्रय नहीं करेगा । यह शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा ।

निविदा प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगे ।

निविदा प्रस्ताव सरल एंव शुद्ध भाषा में होंगे तथा किसी प्रकार की कांट-छांट न हो । प्रस्ताव पर संरथान के मालिक / अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर / अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें ।

निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे ।

यदि किसी संस्थान / व्यक्ति / फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया / वाद विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा ।

संलग्न घोषणा पत्रको भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें ।

मैंने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं । उक्त शर्ते मुझे स्वीकार हैं ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(शर्तों की स्वीकृति हित)

भूमि

धौषणा-पत्र

निविदादाता द्वारा इस धौषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

- 1 मैं/हम नकद राशि जमा की रसीद /डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर -----
दिनांक-----
राशि रूपये ----- अक्षरे-----
जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम देय है संलग्न कर रहे हैं/कर दिया है।
- 2 मैं/हमने निगम की समर्त शर्तों को सावधानीं पूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना का वचन देता हूँ/देते हैं। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/ हम निगम के साथ दिये गये प्रारूप आधार पर अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर कर दूँगा / देंगे ।
- 3 मैं/हम धौषणा करता/करते हैं/हूँ कि मैंने/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उसमें किसी अन्य संस्था को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की तरफ से नहीं दिये गये हैं।
- 4 मैं/हम वचन देता/देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत यह निविदा प्रस्ताव चार माह की अवधि तक मान्य रहेगा।

दिनांक:-

हस्ताक्षर-निविदादाता

मय पद/हैसियत व मोहर सहित

BW

१३

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
परिवहन मार्ग, मुख्यालय, जयपुर - 302 001

क्रमांक:-एफ(158)/मु./प्रशा./वि.के./14/1015

दिनांक: 13.05.14

कार्यालय आदेश

निगम द्वारा बसों एवं बरा स्टैण्डों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु आमंत्रित निविदा में व्यापक प्रचार-प्रसार के उपरान्त भी केवल एक ही निविदा प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में GF & AR के भाग-गा के बिन्दु सं. 55(3)(गा) के तहत अगली उच्च स्तरीय समिति निविदा में प्राप्त दरे उचित एवं युक्तियुक्त से संतुष्ट होते हुए अनुमोदन कर सकती है" के तहत निविदा प्रस्ताव पर निर्णय हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

- | | | |
|------------------------------|---|---------|
| 1. प्रबन्ध निदेशक | - | अध्यक्ष |
| 2. वित्तीय सलाहकार | - | सदस्य |
| 3. कार्यकारी निदेशक(यातायात) | - | सदस्य |

उक्त समिति भविष्य में इस प्रकार के समरत प्रकरणों में निर्णय करने हेतु अधिकृत होगी।

~~(भास्कर ए. सावंत)~~
प्रबन्धक निदेशक

दिनांक: 13.05.14

क्रमांक:-एफ(158)/मु./प्रशा./वि.के./14/1015

प्रतिलिपि:-

1. निजि सचिव, अध्यक्ष, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
4. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
5. कार्यकारी निदेशक (यातायात), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
6. कार्यकारी निदेशक (यांत्रिकी.), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।

विमल कुमार जैन
(विमल कुमार जैन)
कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)

राजस्थान राज्य पर्यावरण निगम, जयपुर
क्रमांक/एफ० १४४५ मु०/प्रशा०/वि. ५०/०७/१०७२

दिनांक:- ३०.१०.०७

परिपत्र


विषय:- निगम बस स्टैण्ड पर राजस्थान लोपरेटिव डेपर्टमेंट ऐसोन, हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विधायन एवं विधायन निगम निर्मित व पंजाब संग्रह के उत्पाद विद्युत हेतु स्थान आवृत्त बाबत् ।

निगम तंचालन मण्डल को बैठक संख्या २२९ एवं प्रस्ताव संख्या १४/२२९/०७ दिनांक २२.१०.०७ के निर्णय संख्या ४३/२००७ के अनुसार इस कावेदार जारी परिपत्र क्रमांक एफ० १४४५ मु०/प्रशा०/वि. ५०/०७/१०७२ दिनांक २३.५.०७ व स्पष्ट टोडरप पत्रांक ६७। दिनांक २७.६.०७ के बिन्दु संख्या ३ में निम्न तक्षण किया जाता है :-

निगम के विभिन्न बस स्टैण्डों पर तरकारी व अर्द्ध तरकारी तस्थानों राजस्थान को परेटिव डेपर्टमेंट ऐसोन, हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विधायन, पंजाब संग्रह आदि को बस स्टैण्ड पर स्थान उपलब्ध होने पर तथा इन स्थानों पर राजियोस्क के स्थान हेतु आवेदन करने पर बिला निविदा के बस स्टैण्ड पर संघालित निजी स्टाल्स-कियोस्क की ओतत दर प्रति वर्गफिल्टर कुल मात्रिक लाइसेंस फीस।— आवृत्ति कुल क्षेत्रफल के आधार पर आगारीय समितिराज प्रेषित प्रस्तावित दर का प्रबन्ध निवेदक के अनुसूचन के पक्षात् अधिकतम् तोन कर्ष के लिये आवृत्ति स्थान को लाइसेंस फीस में प्रतिक्रिया १० प्रतिशत जो चक्रवृत्ति दर से घृद्वि की जावेगी। तोन कर्ष की अवधि समाप्ति से दो साल प्रार्थ पुनः उक्त स्थानों द्वारा सम्बन्धीय प्रबन्धिक को अनुबन्ध नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा। सुधूय प्रबन्धिक सुधूयालय से अनुसूचन प्राप्त कर लाइसेंस का पुनः नवीनीकरण करें। उक्त सभी स्थान आवृत्ति कियोस्क पर केवल अपने निर्मित उत्पादों का ही विद्युत निर्धारित दरों पर कर सकें। एवं कियोस्क संचालन हेतु अन्य किसी को सबलेट नहीं कर सकें। अन्यका लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। बस स्टैण्ड पर आवृत्ति स्थान का अनुबन्ध संहारन से ही किया जावेगा तथा बस स्टैण्ड पर आवृत्ति लाइसेंस फीस समय पर जमा करवाने को जिमेदारी संहारन जो होगी। बस स्टैण्ड पर इन स्थानों को कियोस्क हेतु अधिकतम् ६x६ का स्थान जो होगी। आवृत्ति किया जावेगा। अन्य शर्ते निजी स्टाल्स के आवृत्ति हेतु आसो नये किया-निर्देश अनुसंधान लागू होगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निवेदक

right



राजस्थान राज्य पथ परिवहन
निगम,
मुख्यालय, जयपुर

बस स्टेप्डों पर यात्री सुविधाएँ उपलब्ध
कराने एवं स्टाल आवंटन हेतु
दिशा-निर्देश.

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
विषय-सूची

क्र.सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	स्टाल आवंटन हेतु दिशा-निर्देश प्रथम भाग (प्रस्तावना, वर्गीकरण, अनुज्ञा)	1-8
2.	स्टाल आवंटन हेतु दिशा-निर्देश द्वितीय भाग (समिति का गठन एवं निविदा प्रक्रिया)	9-17
3.	परिशिष्ट-1 निविदा सूचना का प्रारूप	18
4.	परिशिष्ट-2 निविदा प्रपत्र का प्रारूप	19
5.	परिशिष्ट-2 घोषणा-पत्र का प्रारूप	20
6.	परिशिष्ट-2 निविदा शर्त का प्रारूप	21-24
7.	परिशिष्ट-3 लाईसेंस प्रपत्र का प्रारूप(हिन्दी / अंग्रेजी)	25-26
8.	परिशिष्ट-4 अनुबन्ध पत्र का प्रारूप	27-35
9.	परिशिष्ट-5 स्टाल आवंटन पत्र का प्रारूप	36
10.	परिशिष्ट-6 अनुबन्ध समाप्ति पत्र का प्रारूप	37
11.	परिशिष्ट-7 अनुबन्ध निररतीकरण का प्रारूप	38
12.	परिशिष्ट-8 राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या प. 5/7/सा.प्र./2/75 दिनांक 23.4.2001 की प्रतिलिपि	39-40

विज्ञापन इंडिया, भूमि

राजस्थान राज्य पथ परेवहन निगम, जयपुर

3 6

क्रमांक:एफ(94) / मुख्या / प्रशा. / वि.के. / 2007 / 519

दिनांक: 23. 5. 2007

परिपत्र

निगम मण्डल की 227वीं सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव के निर्णय संख्या 21/2007 दिनांक 18.5.2007 की अनुपालना में निगम बैस्क स्टैण्ड परिसर में दुकान/स्टाल/बूथ को लाईसेंस पर आवंटन करने के सम्बन्ध में विज्ञापन शाखा, मुख्यालय, जयपुर द्वारा समय-समय पर पूर्व में जारी समरत नीति/परिपत्र/आदेशों को अधिलंघन कर बस स्टैण्डों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं स्टाल आवंटन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

वर्तमान में जो दुकान/स्टाल/बूथ संचालित हैं, उनकी लाईसेंस अवधि समाप्त होने पर उनका नवीनीकरण नहीं किया जावे। आगारीय समिति द्वारा गविष्य में संलग्न दिशा-निर्देशानुसार प्रक्रिया अपनाकर ही दुकान/स्टाल/बूथ के आवंटन की कार्यवाही की जावे।

यह दिशा-निर्देश सुरक्षा से प्रभावी होंगे।

संलग्न:उपरोक्तानुसार पृष्ठ 1 से 40

~~प्रबन्धक निदेशक~~

क्रमांक:एफ(94) / मुख्या / प्रशा. / वि.के. / 2007 / 519 दिनांक: 23. 5. 2007
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
2. समरत विभागाध्यक्ष(.....), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. समरत महा प्रबन्धक (संचालन), जोन, रापनि, मुख्या, जयपुर।
4. संयुक्त महा प्रबन्धक (वित्त-अंकेक्षण), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
5. समरत मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, रापनि, केन्द्रीय कार्यशाला,।
6. समरत मुख्य प्रबन्धक, रापनि, आगर।
7. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान सूच्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

स्टाल आवंटन दिशा-निर्देश, 2007

1. आवश्यकता:

राजस्थान परिवहन निगम की गैर संचालन आय में वृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक हो गया है कि दुकानों/स्टॉल के आवंटन हेतु समुचित साधन उपलब्ध कराये जावे ताकि यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी कर इस क्षेत्र को आत्म निर्भर बनाया जा सके।

बस यात्रियों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। आज यात्रियों की मांग है कि उन्हें उच्च स्तर की खाने-पान सेवा मिले, खाद्य पदार्थ में गुणवत्ता हो, उत्पादन में विविधता हो, उच्चस्तर की स्वच्छता हो तथा यात्री स्टेटफार्म पर स्टॉल की भरमार भी न हो।

यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भीड़ रहित स्थल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान परिवहन निगम प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आय में वृद्धि को ध्यान में रखकर स्टाल आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हो तथा निविदा में भाग लेने वाली संस्थाओं में भी स्वस्थ प्रतियोगिता हो एवं यात्रियों को कम से कम दर पर विविध प्रकार के प्रमाणित गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो।

निगम मण्डल की स्वीकृति से वर्तमान नीति वर्ष 1997 एवं 2003 में जारी की गई थी तथा इसमें विभिन्न आदेशों के माध्यम से कई बार संशोधन भी किये गये एवं स्टालधारी की समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्हें पुनः बदला गया था। इस प्रकार आगमर स्तर पर वर्तमान परिस्थिति में एकरूपता नहीं है। अतः पूर्व में जारी सभी आदेशों को समाप्त कर नये दिशा-निर्देशों का निर्धारण किया जाता है। यदि निगम मण्डल द्वारा भविष्य में इस नीति में कोई सुधार एवं परिवर्तन किया जाता है तो वह सभी वर्तमान स्टालधारी/अनुज्ञाधारी पर बिना किसी पूर्द नोटिस के लागू माना जावेगा।

2. दुकान/स्टाल का प्रकार:

राजस्थान परिवहन निगम के बस स्टैण्ड पर निम्न प्रकार की दुकान/स्टालों को संचालित किया जा सकता है:-

टी स्टॉल, कैंचीन, फूल स्टॉल, ज्यूस स्टॉल, बुक स्टॉल, कन्फेशनरी स्टॉल, जनरल स्टौर, खिलौना स्टॉल, स्थानीय प्रसिद्ध वस्तु एवं खाद्य पदार्थ, मेडिकल स्टोर, फास्ट फूड रेंटर, अईसीसीपी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, हेयर ड्रेसर, मोची,

2
एस.टी.डी. बूथ, साईंबर कैफे, फेश वेजिटबल स्टॉल, मिल्क बूथ, वाटर स्टेशन, कोल्ड हिंक डिस्पेन्सर, ए.टी.एम. बूथ, स्नेक बार, फ्लोयर, स्टॉल, मोबाइल स्टॉल, सी.डी. / कैसिट सेंटर आदि।

बस स्टैण्ड परिसर स्थित स्टॉलों में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, द्रेवल एजेंट, धूमपान सामग्री व मादक पेय एवं पदार्थों के उपयोग एवं विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

3. बस स्टैण्डों का वर्गीकरण :

राजस्थान भरिवहन निगम का प्रयास अपने सभी बस स्टैण्डों पर वर्तमान में स्थित सभी स्टॉल आदि को भीड़ की स्थिति से मुक्त करना है ताकि यात्रियों को उनकी आवश्यकतानुसार सभी खाद्य पदार्थ आदि उपलब्ध हो सके एवं आकर्षक, साफ-सुधरा, प्रदूषण मुक्त यात्री प्लेटफार्म उनकी यात्रा को सुखद बना सके। इसके लिए बस स्टैण्डों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया जाता है।

'ए' श्रेणी के बस स्टैण्ड :

राज्य की राजधानी जयपुर स्थित केन्द्रीय बस स्टैण्ड(CBS) / दिसावर / केन्द्रीय बस स्टैण्ड(CBS), अजमेर / उदयपुर / जोधपुर / बीकानेर / कोटा / अलवर।

- वर्तमान केंटीन के स्तर को आधुनिक फारस्ट फूड सेंटर के रूप में विकसित किया जावे। जहां सभी प्रकार के आधुनिक संयंत्र, खाद्य पदार्थ को पकाने, संग्रह करने, गर्म पदार्थ / टंडे पदार्थों को सर्ब करने हेतु सुविधा उपलब्ध हो ताकि यात्रियों को उच्च स्तर की हाईजॉनिक कंडीशन मिल सके।
- मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार की स्टॉल आवंटित नहीं की जावे। सभी स्टॉल आदि मुख्य भवन तक ही सीमित होंगे।
- कूकिंग फी प्लेटफार्म - यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के भोजन पकाने और तलने की अनुमति नहीं दी जावेगी। यात्रियों को केवल प्री-कूकड आईटम ही उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा उच्च स्तरीय Biodegradable एवं Ecofriendly container ही उपयोग में लिये जायेंगे। माईक्रोवेव तथा गैस के चूल्हे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जावेगा। भट्टी, चूल्हे, कैसेसिन स्टोव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- प्लेटफार्म पर स्टॉलधारी द्वारा धूम्रपान खाद्य पदार्थ देने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- प्रत्येक स्टॉल के पास छस्ट-बिन स्थापित किये जायेंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था स्टॉलधारी द्वारा की जायेगी।
- डिस्पोजल कप-प्लेट आदि को प्रोत्साहित किया जावेगा।
- सभी स्टैण्डों पर एक रुपता के(मॉड्युलर) स्टॉल ही स्थापित किये जायेंगे।

'बी' श्रेणी के बस स्टैण्ड :

जिला स्तर के शेष सभी बस स्टैण्ड :-

- वर्तमान केंटीन के स्तर को आधुनिक फारस्ट फूड सेंटर के रूप में विकसित किया जावे । जहां सभी प्रकार के आधुनिक संयंत्र, खाद्य पदार्थ को पकाने, संग्रह करने, गर्म पदार्थ / ठंडे पदार्थों को सर्व करने हेतु सुविधा उपलब्ध हो ताकि यात्रियों को उच्च स्तर की हाईजैनिक कंडीशन मिल सके ।
- मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार की स्टॉल आवंटित नहीं की जावे । सभी स्टॉल आदि मुख्य भवन तक ही सीमित होंगे ।
- कूकिंग फी प्लेटफार्म - यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के भोजन पकाने और तलने की अनुमति नहीं दी जावेगी । यात्रियों को केवल प्री-कूकड आईटम ही उपलब्ध करवाये जायेंगे । तथा उच्च स्तरीय Biodegradable एवं Ecofriendly container ही उपयोग में लिये जायेंगे । माईक्रोवेव तथा ऐस के घूल्हे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जावेगा । भट्टी, घूल्हे, सेसाइन रसोइ पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्लेटफार्म पर स्टॉलधारी द्वारा घूमफर खाद्य पदार्थ बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्रत्येक स्टॉल के पास डस्ट-बिन स्थापित किये जायेंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था स्टॉलधारी द्वारा भी जावेगी ।
- डिस्पोजल कप-प्लेट आदि को श्रोत्साहित किया जावेगा ।
- सभी स्टैण्डों पर एकरूपता के (मॉड्युलर) स्टॉल ही स्थापित किये जायेंगे ।

'सी' श्रेणी के बस स्टैण्ड :

नगर पालिका स्तर के सभी बस स्टैण्ड ।

- वर्तमान केंटीन के स्तर को आधुनिक फारस्ट फूड सेंटर के रूप में विकसित किया जावे । जहां सभी प्रकार के आधुनिक संयंत्र, खाद्य पदार्थ को पकाने, संग्रह करने, गर्म पदार्थ / ठंडे पदार्थों को सर्व करने हेतु सुविधा उपलब्ध हो ताकि यात्रियों को उच्च स्तर की हाईजैनिक कंडीशन मिल सके ।
- मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर सभी एकरूपता के (मॉड्युलर) स्टॉल ही स्थापित किये जायेंगे ।
- कूकिंग फी प्लेटफार्म - यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के भोजन पकाने और तलने की अनुमति नहीं दी जावेगी । यात्रियों को केवल प्री-कूकड आईटम ही उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा उच्च स्तरीय

- Biodegradeble एवं Ecofriendly container ही उपयोग में लिये जायेंगे। माईकोबैव तथा गैस के चूल्हे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जावेगा। भट्टी, चूल्हे, केरोसिन रसोय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- प्लेटफार्म पर स्टॉलधारी द्वारा घूमकर खाद्य पदार्थ बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
 - प्रत्येक स्टॉल के पास डर्स्ट-बिन स्थापित किये जायेंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था स्टॉलधारी द्वारा की जावेगी।
 - डिस्पोजल कप-प्लेट आदि को प्रोत्साहित किया जावेगा।

'डी' श्रेणी के बस स्टैण्ड :

ब्लैक्सील स्तर के समक्षत बस स्टैण्ड।

- मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर सभी एकरूपता के स्टॉल (मॉडुलर) ही स्थापित किये जायेंगे।
- कूकिंग फी प्लेटफार्म - यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के भोजन पकाने और तलने की अनुमति नहीं दी जावेगी। यात्रियों को केवल प्री-कूकड आईटम ही उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा उच्च स्तरीय Biodegradeble एवं Ecofriendly container ही उपयोग में लिये जायेंगे। माईकोबैव तथा गैस के चूल्हे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जावेगा। भट्टी, चूल्हे, केरोसिन स्टॉव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- प्लेटफार्म पर स्टॉलधारी द्वारा घूमकर खाद्य पदार्थ बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- प्रत्येक स्टॉल के पास डर्स्ट-बिन स्थापित किये जायेंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था स्टॉलधारी द्वारा की जावेगी।
- डिस्पोजल कप-प्लेट आदि को प्रोत्साहित किया जावेगा।

यात्री सुविधा का विस्तार :

राजस्थान परिवहन निगम के सभी बस स्टैण्डों पर मौजूदा स्टॉल्स को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि यात्री प्लेटफार्म पर स्टॉल्स की अनावश्यक भीड़भाड़ ना हो तथा साक्षियों को सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हो सके। ऐसे चिन्हित स्थानों पर वर्तमान में स्टॉल आवंटित की हुई है तो उसे वर्तमान लाइसेंस अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उपलब्ध स्थान के अलावा आनुपातिक रूप से पुर्णनिर्धारण कर आवंटन किया जावेगा।

5. खान-पान की दर :

राजस्थान परिवहन निगम के सभी यस रेटेंडों पर चाय, कॉफी एवं पीने के ही विक्रय की जावेगी। अन्य पदार्थों को निर्माता द्वारा निर्धारित दर पर मूल्य (M.R.P.) से अधिक दर पर विक्रय नहीं किया जावेगा।

6. अनुज्ञा (लाईसेंस) की अधिकतम सीमा :

लाईसेंस प्रतिशतक तरंग पर तीन वर्ष की अवधि के लिए ही जारी किये जावेंगे। अंतिम तिथि तक करना होगा। प्रत्येक लाईसेंसधारी की प्रथम वार्षिक अवधि समाप्त होने से कम से कम पन्द्रह दिवस पूर्व आगार रत्तीय समिति द्वारा उस लाईसेंसी के नवीनीकरण पर विचार किया जावेगा तथा आगामी अवधि के लिए उपयोगिता के आधार पर आगारीय समिति गत वर्ष की निर्धारित लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धिकृति दर पर बढ़ावी कर उनसे आगामी 12 माह की लाईसेंस फीस की राशि के पोरट डेटेड घेक प्राप्त कर नवीनीकरण कर सकेंगे।

अथवा उससे अधिक प्रतिशत के प्राप्त होते हैं तो उनका दुबीकीकरण अधिकतम प्रत्येक वर्ष इसी दर पर विद्युतित जाकरा। जिसकी लाईसेंस कीसे भी प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धिकृति दर से वृद्धि की जावेगी।

जाँचकृत अवधि दरीके व 5 वर्ष (लाईसेंस के अनुसार) बी अवधि समाप्ति के दो समान पूर्व तुला द्वारा विभिन्न आवश्यक घर नदीत उच्चात्मक निविदादाता के स्टॉल समझ प्रतिशत विद्युत अनुसार आकंटन की समर्थनाही की जावेगी।

7. अनुज्ञा (लाईसेंस) का हस्तान्तरण :

स्टॉल का लाईसेंस अहस्तान्तरणीय (Non-transferable) होगा एवं लाईसेंसी स्वयं स्टॉल का संचालन करेगा। स्टॉल को सब-लेट (Sub-Let) नहीं किया जा सकेगा यदि किसी स्टॉलधारी की लाईसेंस अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो लाईसेंसधारी पर आश्रित उसकी पत्नि के नाम हस्तान्तरित किया जा सकेगा। पत्नी के स्वयं स्टॉल संचालित करने में सक्षम नहीं होने अथवा आश्रित बच्चों के नाबालिंग होने की दशा में पत्नी के शपथ-पत्र पर पति/पत्नी के माता-पिता, भाई, बहन या नाबालिंग संतानों के विधिक संरक्षक के नाम लाईसेंस का हस्तान्तरण लाईसेंस की शेष अवधि के लिए किया जा सकेगा। उपरोक्तानुसार सम्बन्धित आगारीय समिति के प्रत्याव का अनुमोदन उस जोन के महा प्रबन्धक(संचालन) से कराने के पश्चात ही मृतक लाईसेंसधारी के लाईसेंस का हस्तान्तरण लागू किया जा सकेगा।

8. अनुज्ञा (लाईसेंस) की शर्तें :

लाईसेंस पूर्णतः अरथाई आधार पर दिये जायेंगे। लाईसेंसधारक को विजली एवं धानी का कनेक्शन अपने स्टॉर पर लेना होगा तथा सम्बन्धित विभाग को उनके शुल्क के भुगतान भी अपने स्थान के स्टॉर पर करना होगा। लाईसेंसधारी वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण, गर्दंगी एवं कचरा फैलाने, लाईसेंस की निर्धारित शर्तों के प्रदूषण एवं पदार्थों के विक्रय, स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के विक्रय, मादक पेय एवं पदार्थों के विक्रय, अस्तील साहित्य एवं पत्रिकाओं के हानिकारक एवं सड़े गले खाद्य पदार्थों के विक्रय, अस्तील साहित्य एवं पत्रिकाओं के विक्रय, स्टॉल में किसी भी प्रकार के नवीन निर्माण, संशोधन, परिवर्तन करने, निर्धारित क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्र के उपयोग व आवासमन में अवरोध उत्पन्न करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इन सभी शर्तों का उल्लेख अनुज्ञा-पत्र एवं अनुबन्ध-पत्र में किया जायेगा जिसका प्रारूप परिशिष्ट 3 एवं 4 पर उपलब्ध है।

9. सरकारी कर्मचारी हेतु आवंटन प्रक्रिया :

केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र/राज्य सरकार के उपकर्मी के कर्मचारियों, एवं राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी व उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को राजस्थान परिवहन निगम के किसी भी बस स्टैण्ड पर स्टॉल का आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

10. एकल पंच की नियुक्ति :

अनुबन्ध के कियाच्यन शर्तों एवं अनुबन्ध के निर्विचयन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे। जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षैत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।

11. अनुज्ञा (लाईसेंस) वाले किसी सम्बन्ध :

लाईसेंसधारक द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने, निर्धारित शुल्क का सम्मुख पर भुगतान ना करने अथवा बस स्टैण्ड का विस्तोर/जनसुविधाओं के निर्माण या किसी अन्य कार्य के लिए निगम को स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेंसधारी को एक माह का नोटिस देकर स्टॉल को खाली करने की अपेक्षा करते हुए आगार स्तरीय समिति की अभिशांषा पर जोन के महा प्रबन्धक (संचालन) किसी भी लाईसेंस का निरस्तीकरण कर सकेंगे तथा विद्युत एवं जलदाय विभाग के कनेक्शन कटाने की कार्यवाही की जा सकेगी। यदि लाईसेंस की शर्तों के

उल्लंघन पर आगार स्तरीय समिति अधिकतम एक माह के लिए लाईसेंसधारी का लाईसेंस भी निलम्बित कर सकती है। निलम्बन की अवधि में व्यवसाय पर रोक नहीं लगा सकती।

निम्नलिखित परिस्थितियों में लाईसेंसी को केवलमात्र 48 घण्टे का लिखित नोटिस दिया जाकर निगम के द्वारा लाईसेंस निरस्त किया जा सकता है:-

- यदि लाईसेंसधारी को दिवालिया धोषित कर दिया गया है।
- यदि लाईसेंसधारी एक माह की अवधि की लाईसेंस फीस जमा कराने में असमर्थ रहा हो।
- यदि लाईसेंसधारी लाईसेंस की किसी शर्त की पालना करने में असमर्थ रहता है।
- यदि लाईसेंसधारी ने लाईसेंस प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत नियिदा में कोई अधूरी, गलत या भ्रमित जानकारी अंकित की हो।

लाईसेंस के निरस्त करने की शिथिंति में लाईसेंसधारी निगम परिसर को तुरन्त खाली कर उसका कब्जा निगम के संक्षम अधिकारी को देगा लाईसेंसधारी परिसर में 24 घण्टे के अन्दर समस्त सामान स्टाल से हटा लेगा ऐसा नहीं किये जाने पर निगम का संक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के नाला लगा देगा। लाईसेंसधारी का फर्नीचर व अन्य समस्त सामान संक्षम अधिकारी स्टाल से हटाकर अपने कब्जे में लेगा, व उसको बिकी अथवा अन्य प्रकार के डिस्पोज करने का अधिकार होगा और निगम से ऐसी सूत में किसी सामान की बिकी मूल्य या अमानत राशि में से वसूली करने का अधिकार निगम को होगा।

यदि लाईसेंसधारी स्वयं अपना लाईसेंस चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम से तीन माह पूर्व इसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

12. अनुज्ञा का अनुबन्ध:

लाईसेंसधारी के लिए अनुबन्ध में ऐसा प्रावधान होगा कि वह परिवहन निगम के विरुद्ध सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होगा। परिवहन निगम किसी भी मामले में पक्षकार नहीं होगा। अनुबन्ध का प्रारूप परिशिष्ट-4 पर है।

13. वर्तमान लाईसेंस हेतु नये दिशा-निर्देशों का संचालन :

परिवहन निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देश सभी नये लाईसेंसी पर जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगी। लाईसेंसी की अनुबन्ध अधिक पूर्ण होने पर उक्त दिशा-निर्देश के अनुसरण में ही अनुबन्ध किया जावेगा।

14. सीजनल र्टाल:

सीजनल र्टाल का आवंटन केवल बी.सी. व डी.श्रेणी के बस र्टैण्ड पर ही किया जावेगा। सीजनल र्टाल आवंटन हेतु निम्न प्रक्रिया रहेगी :-

1. सीजनल र्टाल की नियमानुसार खुली निविदाएं रथानीय समाचार-पत्र/नोटिस बोर्ड में प्रकाशन/चर्पा करवाकर आगारीय समिति द्वारा उच्चतम निविदादाता को आंवटित की जावेगी।
2. सीजनल र्टाल हेतु स्थान मुख्य प्लेटफार्म से अलग होगा।
3. नल-बिजली व्यय अलग से वसूल किया जावेगा।
4. सीजनल लाईसेंस पूर्णतः अस्थाई आधार पर जारी किये जावेंगे व पूर्ण समयावधि की लाईसेंस फीस एक मुश्त अग्रिम निगम कोष में जमा करवानी होगी।
5. समयावधि समाप्त होने के पश्चात लाईसेंस रवतः ही निरस्त हो जावेगा।
6. सीजनल लाईसेंस निम्न आईटम विक्रय हेतु जारी किया जा सकेगा :-

क्र.सं.	सीजनल वस्तुओं का नाम	आवंटन अवधि	धरोहर राशि
1.	मूँगफली, गोंद, रेण्डी, इवं अन्य मौसमी पदार्थ	1 नवम्बर से 31 मार्च	5,000/-
2.	वाटर ट्रॉली, कुल्की, मन्त्रा इलेक्ट्रिक, आई.ए.डी.व अन्य मौसमी पदार्थ	1 अप्रैल से 31 अक्टूबर	5,000/-

7. लाईसेंस अहस्तान्तरित होगा।
8. निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/शर्तों की पूर्ण पालना की जानी होगी। जिनके उल्लंघन करने पर 48 घण्टे का नोटिस जारी कर आगारीय समिति लाईसेंस निरस्त कर सकेगी।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

स्टाल आवंटन दिशा-निर्देश 2007

द्वितीय-भाग

1. आवंटन की प्रक्रिया :

राजस्थान परिवहन निगम के 'ए' श्रेणी के बस स्टैण्ड पर स्टॉल के आवंटन का कार्य निम्न अंकित समिति द्वारा किया जायेगा। जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे : -

- | | | |
|----|-----------------------|------------|
| 1. | महा प्रबन्धक (संचालन) | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य प्रबन्धक | सदस्य |
| 3. | प्रबन्धक (यातायात) | सदस्य |
| 4. | प्रबन्धक (संचालन) | सदस्य |
| 5. | प्रबन्धक (वित्त) | सदस्य सचिव |

राजस्थान परिवहन निगम की बी.सी.वे डी श्रेणी के बस स्टैण्ड पर स्टाल के आवंटन का कार्य निम्न अंकित समिति द्वारा किया जायेगा। आगारीय समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे : -

- | | | |
|----|--------------------|------------|
| 1. | मुख्य प्रबन्धक | अध्यक्ष |
| 2. | प्रबन्धक (यातायात) | सदस्य |
| 3. | प्रबन्धक (संचालन) | सदस्य |
| 4. | प्रबन्धक (वित्त) | सदस्य सचिव |

नोट:- जिन केन्द्रीय बस स्टैण्डों पर अलग से मुख्य प्रबन्धक हैं वहां पर वे आगार स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। यदि केन्द्रीय बस स्टैण्डों पर प्रबन्धक (यातायात) एवं प्रबन्धक (वित्त) अलग से नियुक्त नहीं हैं तो वहां के आगार के प्रबन्धक (यातायात) एवं प्रबन्धक (वित्त) सदस्य/सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

आगार के अधीनस्थ बस स्टैण्डों पर आवश्यक स्टॉल/बूथ के स्थान एवं उनकी संख्या का निर्धारण आगारीय समिति द्वारा किया जायेगा। लाईसेंस धारकों से लाईसेंस की सभी शर्तों की पूर्ण करवाना, लाईसेंस के नवीनीकरण/निरस्तीकरण समय पर शुल्क की वसूली करना, न्यायिक प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करना एवं नियमानुसार स्टाल खाली करवाना व अन्य आवश्यक कार्यवाही कराने का पूर्ण दायित्व आगार स्तरीय समिति का होगा तथा उपरोक्त में से किसी भी शर्त का

उल्लंघन पाये जाने पर आगार रत्तीय समिति को रास्तरपों को राष्ट्रिय ५५ रु ५५ पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा।

स्टॉल का आवंटन आगार स्तरीय समिति द्वारा खुली निविदा के माध्यम से किया जावेगा। समाचार-पत्र में प्रकाशित हेतु निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र का प्रारूप परिशिल्प 1 एवं 2 पर है।

2. निविदा प्रक्रिया :

'ए' श्रेणी के बस स्टैण्डों के लिए :

- उक्त बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु राज्य स्तरीय समाचार-पत्रों में निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों को आगार स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।
- निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 200/- (अक्षरे रूपये दो रु ३० ग्राम) द्वारा जावेगा।
- निविदा के साथ धरोहर राशि (Earnest-money) के रूप में स्टॉल से प्राप्त होने वाली मासिक लाईसेंस फीस को मध्य नजर रखते हुए रूपये 10,000/-, 20,000/- एवं 50,000/- (अक्षरे रूपये दस हजार, बीस हजार एवं पचास हजार ग्राम) जमा कराने होंगे। धरोहर राशि का निर्धारण आगारीय समिति द्वारा किया जावेगा। अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त बिना ब्याज के लौटायी जायेगी।
- अनुज्ञा (लाईसेंस) जारी करने से पूर्व मासिक लाईसेंस शुल्क की तीन गुणा सुरक्षा राशि के रूप में अनुज्ञाधारी को नकद निगम कोष में जमा करानी होगी यह राशि निगम कोष में अनुबन्ध समाप्ति तक जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अनुबन्ध समाप्ति पर उक्त सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी।
- अनुज्ञाधारी (लाईसेंसी) को बिप्पम के साथ अनुबन्ध पत्र नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर राशि 100/- रूपये पर निष्पादित करना होगा।
- लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने के तीस दिवस के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर अग्रसर स्तरीय समिति द्वारा उसका लाईसेंस रद्द कर उपयोगिता के अधार पर द्वितीय अधिकतम निविदा प्रस्तावक को अथवा पुनः निविदाओं के अधार पर लाईसेंस का आवंटन किया जा सकेगा।

प्रकाशन का निर्धारण :

आगारीय समिति द्वारा स्टॉल आवंटन के समय आवेदकों की पात्रता का परीक्षण किया जावेगा:-

- निगम के विरुद्ध आवेदक का किसी भी न्यायालय में विवाद/प्रकरण विचाराधीन नहीं होता। ताकि उस पूर्वी विधि के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के विरुद्ध निगम का किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए।

वित्तीय प्रस्ताव :

निविदाओं में सुषात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दरों के आधार पर लाईसेंसी का निर्धारण किया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में यात्री सुविधा/स्टालधारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सामान की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जावेगा।

निविदा में यदि पूर्व में प्राप्त हो रही दर से 20 प्रतिशत कम राशि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर आगारीय समिति अपनी अभिशंषा सहित प्रकरण को अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित करेगी।

अनुज्ञा (लाईसेंस) शुल्क के भुगतान की विधि :

लाईसेंसधारी द्वारा निगम कोष में लाईसेंस फीस के भुगतान करने की विधि निम्नानुसार है:-

- स्टॉल आवंटन होने के पश्चात् लाईसेंसधारी द्वारा स्टाल/बूथ का कब्जा लेने से पूर्व प्रत्येक माह के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि के 12 पोर्ट डेटेड चैक आगार कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
- लाईसेंस फीस के चैक अनादरण (dishonour) होने की स्थिति में निगम के खाते में बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि की वसूली लाईसेंसधारी से की जावेगी।
- लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन 50/- रुपये अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शारित जमा करानी होगी। फिर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक डिरानर होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरुद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही भी की जावेगी।

'बी' श्रेणी के बस स्टैण्डों के लिए :

- उक्त बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु जिला स्तरीय समाचार-पत्रों में निविदा आमत्रित की जावेगी तथा प्राप्त प्रत्याख्यों को आगार स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।

- निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 200/- (अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) लिया जायेगा ।
- निविदा के साथ धरोहर राशि (Earnest money) के रूप में मासिक लाईसेंस फीरा को गव्य ज्ञार रखते हुए २५पये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) रूपये व 15,000/- (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) जमा कराने होंगे । धरोहर राशि का निर्धारण आगारीय समिति द्वारा किया जायेगा । अस्तीकृत निविदाओं की धरोहर राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।
- अनुज्ञा (लाईसेंस) जारी करने से पूर्व मासिक लाईसेंस शुल्क की तीन गुणा राशि सुरक्षा राशि के रूप में अनुज्ञाधारी को नकद निगम कोष में जमा करानी होगी यह राशि निगम कोष में अनुबन्ध समाप्ति तक जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । अनुबन्ध समाप्ति पर उक्त सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।
- अनुज्ञाधारी (लाईसेंसी) को निगम के साथ अनुबन्ध पत्र नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर राशि 100/- रूपये पर निष्पादित करना होगा ।
- लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने के तीस दिवस के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर आगार रक्तरीय समिति द्वारा उसका लाईसेंस रद्द कर उपयोगिता के आधार पर द्वितीय अधिकतम निविदा प्रस्तावक को अथवा पुनः निविदाओं के आधार पर लाईसेंस का आवंटन किया जा सकेगा ।

पात्रता का निर्धारण :

आगारीय रक्तरीय समिति द्वारा स्टाल आवंटन के समय आवेदकों की पात्रता का परीक्षण किया जायेगा : -

- निगम के विरुद्ध आवेदक का किसी भी न्यायालय में विवाद/प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए तथा पूर्व में भी प्रार्थी के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए । आवेदक के विरुद्ध निगम का किसी भी प्रकार का यकाया नहीं होना चाहिए ।

द्वितीय प्रस्ताव :

निविदाओं में सुपात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दरों के आधार पर लाईसेंसी का निर्धारण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यात्री सुविधा/स्टालधारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सामान की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जायेगा ।

'निविदा में यदि पूर्व में प्राप्त होने पर आगारीय समिति अपनी अगिशासा सहित प्रकरण को अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित करेगी।'

अनुज्ञा (लाईसेंस) शुल्क के भुगतान की विधि :

'लाईसेंसधारी द्वारा निगम कोष में लाईसेंस फीस के भुगतान करने की विधि नियमानुसार है:-'

- स्टॉल आवंटन होने के पश्चात् लाईसेंसधारी द्वारा स्टॉल/बूथ का कब्जा लेने से पूर्व प्रत्येक माह के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि के 12 पोस्ट डेटेड चैक आगार कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
- लाईसेंस फीस के चैक अनादरण (dishonour) होने की स्थिति में निगम के खाते में बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि की वसूली लाईसेंसधारी से की जावेगी।
- लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन 50/- रुपये अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ति जमा करानी होगी। फिर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक डिस्कानर होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरुद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही भी की जावेगी।

'सी' श्रेणी के बस स्टैण्डों के लिए :

- उक्त बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु स्थानीय समाचार-फ्रॉन्ट में निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों को आगार स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।
- निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 150/- (अक्षरे रुपये एक सौ पचास मात्र) लिया जावेगा।
- निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) जमा कराने होंगे। तथा अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जायेगी।
- अनुज्ञाधारी (लाईसेंसी) को निगम के साथ अनुबन्ध पत्र नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर राशि 100/- रुपये पर निष्पादित करना होगा।
- लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने के तीस दिवस के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर आगार रत्तरीय समिति द्वारा उसका लाईसेंस रद्द कर उपयोगेता के आधार पर द्वितीय अधिकतम निविदा प्रस्तावक को अथवा पुनः निविदाओं के आधार पर लाईसेंस का आवंटन किया जा सकेगा।

पात्रता का निर्धारण :

आगारीय रतारीय शगिरि द्वारा रटाल आवंटन के समय आवेदकों की पात्रता का परीक्षण किया जायेगा :-

- निगम के विरुद्ध आवेदक का किसी भी न्यायालय में विवाद / प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए तथा पूर्व में भी प्रार्थी के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए । आवेदक के विरुद्ध निगम का किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए ।

वित्तीय प्रस्ताव :

निविदाओं में सुधार आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दरों के आधार पर लाईसेंसी का निर्धारण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यात्री सुविधा / स्टालधारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सामान की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जायेगा ।

निविदा में यदि पूर्व में प्राप्त हो रही दर से 20 प्रतिशत कम राशि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर आगारीय समिति अपनी अभिशंखा संहित प्रकरण को अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित करेगी ।

अनुज्ञा (लाईसेंस) शुल्क के भुगतान की विधि :

लाईसेंसधारी द्वारा निगम कोष में लाईसेंस फीस के भुगतान करने की विधि निम्नानुसार है :-

- स्टॉल आवंटन होने के पश्चात् लाईसेंसधारी द्वारा स्टाल / बूथ का कब्जा लेने से पूर्व प्रत्येक माह के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि के 12 पोस्ट डेटेड चैक आगार क्लार्यालय में जमा करवाने होंगे ।
- लाईसेंस फीस के बैक अनादरण (dishonour) होने की स्थिति में निगम के खाते में बैक द्वारा चार्ज की गई राशि की वसूली लाईसेंसधारी से की जायेगी ।
- लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन 50/- रुपये अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ति जमा करानी होगी । फिर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक डिस्काउंट होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरुद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

राजरथान परिवहन निगम ने 'डी' श्रेणी के घर स्टैण्डों पर रथाल्य/बूथ के लिए निम्नानुसार आरक्षण देय होगा :—

- आवश्यकता एवं रथान की उपलब्धता के आधार पर आगार स्तरीय समिति की अभिशंषा पर निविदा के माध्यम से एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ के आवेदन केवल विकलांग एवं विधवाओं को ही आवंटित किये जावेंगे। अधिकतम दर देने वाले प्रस्तावक को बूथ आवंटित किया जा सकेगा। निगम द्वारा स्वीकृत डिजाइन के अनुरूप 4X4 फीट का अस्थाई बूथ लाईसेंसधारी को पर नहीं होगा।
- निम्न संवर्ग के तहत आगार के बस स्टैण्ड पर अधिकतम दो कियोरक खुली निविदा के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर अधिकतम दर देने वाले प्रस्तावक को अमंत्रित किये जाएँगे :—

- ❖ मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वेरोजगार प्रत्याशी
- ❖ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं
- ❖ बी.पी.एल. सर्वे में चयनित व्यक्ति
- ❖ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के व्यक्ति।

'डी' श्रेणी के बस स्टैण्डों के बिल्ड :

- उक्त बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु स्थानीय समाचार-पत्रों में निविदा अमंत्रित की जावेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों को आगार स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।
- निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 100/- (अक्षरे रूपये एक सौ मात्र) लिया जावेगा।
- निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रूपये 5,000/- (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) जमा कराने होंगे। तथा अस्थीकृत भिविदाओं की धरोहर राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जायेगी।
- अनुज्ञा (लाईसेंस) जारी करने से पूर्व भासिक लाईसेंस शुल्क की तीन गुणा राशि सुरक्षा राशि के रूप में अनुज्ञाधारी को नकद निगम कोष में जमा करानी होगी यह राशि निगम कोष में अनुबन्ध समाप्ति तक जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अनुबन्ध समाप्ति पर उक्त सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी।

- अनुज्ञाधारी (लाईसेंसी) को निगम के साथ अनुबन्ध पत्र नॉन-ज्यूडिशियल, स्टाम्प पेपर राशि 100/- रुपये पर निष्पादित करना होगा।
- लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी किए जाने के तीस दिवस के अंतर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर आगार स्टार्ट अभियान द्वारा उसका लाईसेंस रद्द कर उपयोगिता के आधार पर द्वितीय अधिकतम निधिदा प्रस्तावक को अथवा पुनः निविदाओं के आधार पर लाईसेंस जारी आवंटन किया जा सकेगा।

प्राप्ति का निर्धारण :

आगारीय स्तरीय समिक्षा द्वारा स्टाल आवंटन के समय आवेदकों की पात्रता चाहेगी कि वे जावेगा :—

- निगम के विरुद्ध आवेदक का किसी भी न्यायालय में विवाद/प्रकरण होना चाहिए तथा पूर्व में भी प्रार्थी के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के विरुद्ध निगम का किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए।

वित्तीय प्रस्ताव :

निविदाओं में सुपात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दरों के आधार पर लाईसेंसी का निर्धारण किया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में यात्री सुविधा/नहीं किया जावेगा।

निविदा में यदि पूर्व में प्राप्त हो रही दर से 20 प्रतिशत कम राशि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर आगारीय समिति अपनी अभिशंषा सहित प्रकरण को अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित करेगी।

अनुज्ञा (लाईसेंस) शुल्क के भुगतान की विधि :

लाईसेंसधारी द्वारा निगम कोष में लाईसेंस फीस के भुगतान करने की विधि निम्नानुसार है :—

- स्टॉल आवंटन होने के पश्चात् लाईसेंसधारी द्वारा स्टाल/बूथ का कब्जा लेने से पूर्व प्रत्येक माह के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि के 12 पोर्ट डेटेड चैक आगार कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
- लाईसेंस फीस के चैक अनादरण (dishonour) होने की स्थिति में निगम के खाते गे वैक द्वारा चार्ज की गई राशि की वसूली लाईसेंसधारी से की जावेगी।

- लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन 50/- रुपये अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ति जमा करानी होगी। किर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक डिरआनर होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरुद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही की जायेगी।

स्टाल आवंटन में आरक्षण

राजस्थान परिवहन निगम के 'डी' श्रेणी के बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ के लिए निम्नानुसार आरक्षण देय होगा : -

- आवश्यकता एवं रथान की उपलब्धता के आधार पर आगार रत्सीय समिति की अभियांषा पर निविदा के माध्यम से एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ आवेदन केवल विकलांग एवं विधवाओं को ही आवंटित किये जावेंगे। अधिकतम दर देने वाले प्रस्तावक को बूथ आवंटित किया जा सकेगा। निगम द्वारा स्वीकृत डिजाइन के अनुरूप 4X4 फीट का अस्थाई बूथ लाईसेंसधारी को (एकेलिकशीट आदि का) रथान के खर्च पर बनवाना होगा जो मुख्य प्लेटफार्म पर नहीं होगा।
 - निम्न संवर्ग के तहत आगार के बस स्टैण्ड पर अधिकतम दो किलोस्क खुली निविदा के भाष्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर अधिकतम दर देने वाले प्रस्तावक को आवंटित किये जा सकेंगे : -
- ❖ मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार प्रत्यक्षी
 ❖ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विष्वकाश
 ❖ बी.पी.एल. सर्वे में बयनित व्यक्ति
 ❖ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य घिछड़ी जाति वर्ग के व्यक्ति।

स्टाल खाली करवाने की कार्यवाही कराने हेतु:

यदि कोई लाईसेंसी दुकान/स्टाल/बूथ लाईसेंस अवधि के बाद खाली नहीं करता है तो आगारीय समिति परिषत्र संख्या प०/एल-131/मु./2/संपत्ति/ 01 /498 दिनांक 6.7.2001 एवं राज्य सरकार के परिषत्र संख्या प० 5/सा०प्र०/2/75 दिनांक 23.4.2001 के अनुसार लाईसेंसी से स्थान खाली करवाने की तुरन्त कार्यवाही करेगी (परिशिष्ट -आठ)।

राजस्थान राज्य पूर्ण परिवहन निगमआगरा
निविदा सूचना

निगम बस स्टेप्डों पर केंद्रीय रास स्टेप्ड पर निम्नलिखित रटॉल/बूथ हेतु लाईसेंस पर लेने का सुनहरा अवसर निम्न के केंद्रीय रास स्टेप्ड पर लेने का सुनहरा अवसर लाईसेंसी भिन्नता किया जाना है।

क्र.सं.	रटॉल की प्रकृति	लाईज	दिशेष विवरण
1.			
2.			
3.			

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते निर्धारित राशि रूपये/- रूपये नकद जमा करवाकर निम्नहरताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रष्ठा के साथ निर्धारित धरोहर साँशि रूपये/- नकद अथवा डी.डी. /बैंकर्स चेक या अन्य प्रबंधक राजस्थान परिवहन निगम के नाम हो, के सभी जमा करनी होती। निर्धारित धरोहर, राशि जमा कराये बिना प्रस्ताव मान्य नहीं होगे।

इच्छुक व्यक्ति / सरथान अपने प्रस्ताव दिनांक को मध्याह्न पश्चात् 15.00 वजे तक निम्नहरताक्षरकर्ता के समक्ष सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं जो उसी दिन सायं 15.30 वजे उपरिथित निविदादाताओं के समक्ष खोले जाते हैं। निविदा भी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का नियम को पूर्ण अधिकार होगा।

मुख्य प्रबन्धक
आगरा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

परिषिक्षा-2

राजस्थान ॥रिवैंडा निगम॥ के द्वारा स्टैंड पर रट्टल/बूथ आवंटन हेतु
निविदा प्रपत्र (यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया
जावे उसी के प्रयोजनार्थ हैं) तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया
निविदा प्रपत्र संख्या एफ/मु.प्र./.../2007/
दिनांक:

निविदा प्रपत्र की राशि
जमा रूपये/-
अक्षरे रूपये मात्र,

नकद/रसीद संख्या -----
दिनांक : -----

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पता मुख्य प्रबन्धक आगार
2. टेलीफोन नम्बर कार्यालय
3. टेलेक्स/फैक्स नम्बर निवास
4. व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण
5. धरोहर राशि
6. धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा
रसीद सं./झाफ्ट/बैंक सेंचुर नम्बर
दिनांक
7. देय लाईरोंस शुल्क राशि रूपये राशि प्रति माह रूपये
शब्दों में -----
8. निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ
का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण
9. निविदादाता का बैंक अकाउंट किस बैंक
में है, नम्बर सहित दर्शाये।
10. निविदादाता की चल व अचल सम्पत्ति का
विवरण सत्यापित प्रति सहित।
11. अन्य विवरण

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हेसियत/मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर

घोषणा पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/ डी.डी. संख्या/थैकर्स चैक संख्या ----- दिनांक ----- राशि रूपये ----- जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम देय है, संलग्न कर रहे हैं/कर दिया है।
2. मैं/हमने निगम की समर्त शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा खीकार कर लिया जाता है तो मैं/ हम निगम के साथ लाईसेंसी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूँगी/देंगे।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि मैंने/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उसमें किसी अन्य संरक्षण को कोई संरक्षकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संरक्षण की तरफ से नहीं दिये गये हैं।

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता द्वय
पद/हसियत व मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

निविदा शर्तें

निविदा शुल्क -
निविदा दिनांक रूपये मात्र
निविदा प्राप्ति समय
निविदा खोलने का समय

निम्न है:- कैंटीन/स्टाल/बूथ के आवंटन/ संचालन की निविदा शर्त

- 1- निगम परिसर में दुकान/स्टाल/खाली स्थान अस्थाई लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जावेगी। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाईसेंसी के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं होने/ सन्तोषजनक सेवायें रहने पर लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत चक्रवृत्ति दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रूपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रूपये अुथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा-गिरेशानुराग राग्य पर रटाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञा की अवधि समाप्ति पर लाईसेंसी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान/स्टाल/बूथ खाली कर कब्जा सम्भलाना पड़ेगा। लाईसेंसी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
 - 2- लाईसेंस पर दुकान/स्टाल/बूथ /खाली स्थान लेने हेतु लाईसेंसी को एक सौ रूपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप लिखित मे अनुबन्ध करना होगा।
 - 3- लाईसेंस पर दी गई दुकान/स्टाल/बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामाग्री का ही वेचान किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रागान् वा धेयान् नहीं किया जायेगा।
- 1.
 - 2.
 - 3.

- 4- निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि / - रूपये (अक्षरे लाखों रुपये) का बैंक खाता / गोनिया खाता / गोनी वाला नामी रखाने करनी होगी। ~~लाईसेंस आवंटित होने पर लाईसेंसी को दस दिवस में उपलब्ध कराया जाएगा।~~ उक्त धरोहर एवं सुरक्षा राशि बिना व्याज के लाईसेंस अधिक समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेंस रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम् निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेंस आवंटन किया जा सकेगा।
- 5- निगम को अनुबन्ध समिति दिनांक रो पूर्व आवंटित दुकान/स्टाल/खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेंसी को 24 घन्टे के अन्दर अपने स्वयं के खर्च पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एवं उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाईसेंस दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा तैयार किये जावेगें एवं उसका अनुमोदन जोन के महा प्रबन्धक के स्तर से किया जावेगा। जब भी लाईसेंसधारी को पूर्व स्थान से शिफ्ट करना हो तो पहले नियमानुसार उसका लाईसेंस निरस्त किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेंसधारी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाईसेंस शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेंसधारी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एवं नये स्थान का लाईसेंस भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदादाये आमंत्रित कर आवंटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेंसी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तर दायितव के लाईसेंस समाप्त कर सकेगा।
- 6- लाईसेंसी मासिक लाईसेंस फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोर्ट डेटेड चैक जो प्रत्येक माह की 07 तारीख को देय होंगे, देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेंस फीस जमा नहीं करने अथवा लाईसेंस की किसी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घन्टे का नोटिस जारी कर लाईसेंस निरस्त कर सकेगी। लाईसेंस निरस्त करने/याइस लिये जाने पर लाईसेंसी निगम परिष्कर को 24 घन्टे में खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर दुकान/स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा दिया जावेगा।
- 7- लाईसेंसी स्वयं के खर्च पर संबंधित विभाग से बिजली, पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा व उसका स्वयं भुगतान वहन करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति संबंधित विभाग को कनेक्शन बन्द करने लिए सूचित करेगा।
- 8- आवंटित दुकान/खाली स्थान पर लाईसेंसी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस, व सरकार द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ न तो रखेगा और न ही बेचेगा।

- 9- लाईसेंसी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।
- 10- लाईसेंसी विक्रय किये जाने वाले पदार्थों की मूल्य सूची आगारीय समिति से सबो। लाईसेंसी आवंटित दुकान/स्टाल पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ नहीं करा सकेगा।
- 11- निगम द्वारा लाईसेंसी को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर लाईसेंस को निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- 12- यदि लाईसेंसधारी स्वयं अपना लाईसेंस चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा राशि जब्त करली जावेगी।
- 13- दुकान/स्टाल/बूथ को लिखा गया लाईसेंस अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
- 14- अनुबन्ध के कियाज्ञान शर्तों एवं अनुबन्ध के निर्धिकन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी हैं एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षेत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।
- 15- लाईसेंसी के विरुद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेंसी द्वारा दो दिवस में बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर आगारीय समिति लाईसेंस निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेंस दे दिया जावेगा।
- 16- लाईसेंसी द्वारा निगम से सम्बद्ध समझ पर जारी आदेश/शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाईसेंस निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हाफ्टने के लिए लाईसेंसी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 17- दुकान/स्टाल/बूथ पर गुणवत्ता पद्धर्थों का ही विक्रय किया जा सकेगा।
- 18- लाईसेंसी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेंसी द्वारा ही सीधे संबंधित विभाग में जमा कराया जावेगा।
- 19- यात्रियों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेंसधारी के अलावा उसी आईटम का लाईसेंस उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को जारी कर सकेगा। लाईसेंसधारी को इस बारे में किसी भी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।

20- यदि निविदा दाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो निविदा दाता को लाईसेंस प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के ब्लर्फलाय में प्रश्नांक दर्शने होंगे : -

1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवं अचल संपत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छात्रा प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल एवं अचल संपत्ति नहीं है तो उसके गारंटर की चल एवं अचल संपत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति ।
2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति । (पुस्टि में मतदाता परिचय पत्र/ वर्तमान ड्राइविंग लाईसेंस की प्रति, पैन कार्ड, इनकम टेक्स रिटर्न की प्रमाणित फोटो प्रति) ।
3. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारंटर को 100/- रुपये के भारतीय गैर न्यायाधिक रुक्षपथ पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जब तक वह निगम का लाईसेंसी रहेगा तब तक विना निगम अनुमति वह अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विकल्प नहीं करेगा। यह शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ओफिसिटी द्वारा सत्यापित होगा।

21- निविदा प्रस्ताव सील बन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगे ।

22- निविदा प्रस्ताव सरल एवं शुद्ध भाषा में होंगे तथा किसी प्रकार की कॉट-छांट ना हो । प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हरराधार होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखे ।

23- निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी साशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे ।

24- यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/वा विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा ।

25- ~~यदि विचार भी रारथार/व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम की रोधि/बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा ।~~

26- संलग्न घोषणा पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें ।

27- मैंने उपरोक्त शर्तों की घड़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

100 रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक _____ को मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम आगार जो कि निगम कहलायेगा एवं श्री/ श्रीमति _____ पिता/पति का नाम श्री _____ वर्तमान पता _____

रथाईपता

जो कि लाईसेंसी कहलायेगा, के मध्ये निम्नलिखित शर्तों पर निष्पादित किया जा रहा है:-

1- यह है कि राजस्थान परिवहन निगम आगार परिसर में लाईसेंस पर निर्मित दुकान नम्बर _____ /स्टाल संख्या _____ /बूथ नम्बर _____ /खाली रथान साईज _____ जो लिखत हैं _____ व्यवसाय हेतु लाईसेंसी को सबलैट दू सेकंड 52वीं 63 आफ दी इण्डियन ईजमेंट, एंड लाईसेंस एवट 1882 के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है।

2- आवंटित स्टाल/बूथ में लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस अवधि में निम्न वस्तुओं/ पदार्थों का ही व्यवसाय किया जावेगा :-

- 1.
- 2.
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य परामर्श/रागाग्री पदार्थ/रागाग्री का लाइसेंस नहीं किया जा सकेगा अन्धकार लाइसेंस निरस्त करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।

- 3- इस दुकान/स्टाल/बूथ संचालन की मासिक लाईसेंस फीस राशि शब्दों में रुपये ॥ ३ होगी ।
- 4- यह लाईसेंस अवधि दिनांक-दिनांक के लिये मान्य होगा ।
- 5- निगम बस स्टैण्डों पर आवृद्धि दुकान नचर/स्टाल संख्या/बूथ संख्या/खाली स्थान लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिए लाईसेंस फीस पर आवंटित की जाती है। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर 10 प्रतिशत राशि बढ़ाकर अर्थात् पूर्व लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि कर लाईसेंस फीस जमा करते हुए अगले एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जावेगा । जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रुपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के गासिक लाईसेंस 50,000/- रुपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा । उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा-निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी । उक्तानुसार नवीनीकरण नहीं कराने पर/ अवधि समाप्ति पर पूर्व में किया गया अनुबन्ध/जारी लाईसेंस स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । इसके लिए पृथक से नोटिस आदि जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा लाईसेंसी को दुकान/स्टाल/बूथ दुकान/स्टाल/बूथ /खाली स्थान स्वतः खाली करना होगा । इसके लिए वह किसी भी अधिकार क्षेत्र न्यायालय में बाट दायर नहीं कर-सकेगा ।
- 6- निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वो स्टाल/केंटीन/बूथ का स्थान निर्धारित प्रशारानिक दृष्टि से उपयुक्त समझा जाने पर बदल सकेगा इस बारे में निगम के द्वारा लिखित में निर्देश दिये जाने के 24 घन्टे के अन्दर-अन्दर लाईसेंस धारक उसके स्वयं के खर्चे पर पुरानी जगह से समस्त सामान उठाकर नई जगह पर ले जावेगा ऐसी स्थिति में यदि लाईसेंस धारक उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तदरदायित्व के लाईसेंस समाप्त कर सकेगा ।
- 7- लाईसेंसधारी स्वयं के खर्चे पर बिजली व पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा तथा उसका भुगतान सम्बन्धित विभाग को करेगा लाईसेंसधारी निगम की बिजली व पानी का उपयोग नहीं करेगा । जहाँ लाईसेंसधारी को बिजली व पानी के लिए निगम की ओर से कनेक्शन पूर्व में दिया हुआ है वह लाईसेंसधारी बिजली का सब बीटर स्वयं के खर्चे पर लगायेगा तथा बिजली व पानी का खर्चा जो कि निगम के द्वारा निर्धारित किया गया हो, को निगम को देय तारीख से कम से कम दो दिवस पहले निगम में जमा करवायेगा ऐसा नहीं किये जाने की सूत में निगम के द्वारा उसका बिजली व पानी का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जावेगा ।

- ✓ 8- निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि एक विषय सम्बन्धी लाईसेंसधारी के अलावा यात्रियों की सुविधा को भव्य नजर रखते हुए जारी कर सकेगा। लाईसेंसधारी को इस बारे में कोई एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।
- ✓ 9- लाईसेंसधारी उक्त स्टाल/केंटीन/बूथ पर कोई विज्ञापन नोटिस नहीं लगावेगा।
- ✓ 10- लाईसेंसधारी किसी ऐसे व्यक्ति को सेवा में नहीं रखेगा जो कि फैलने वाली किसी बीमारी से ग्रसित हो, जिसकी साथ खराब हो अथवा जो अपराधी प्रवृत्ति का हो। निगम के द्वारा इस बारे में लिया गया निर्णय लाईसेंसधारी को मान्य होगा।
- ✓ 11- लाईसेंसधारी द्वारा अपनी स्टाल/बूथ/दुकान पर रखे जाने वाले नौकर एंव कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम एंव पते सहित सूची मुख्य प्रबन्धक को देनी होगी तथा सूची में अंकित व्यक्ति ही उक्त स्थान पर कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे। सूची में नाम नहीं होने पर कार्य करने वाला अतिक्रमि होगा एंव सूची में नाम अंकित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त स्थान पर एक सप्ताह की अवधि तक अतिक्रमण करने पर लाईसेंस समझा जावेगा तथा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी। नौकर अथवा कार्य करने वाले कर्ता के बदलने पर उसकी सूचना संबंधित मुख्य प्रबन्धक को देनी होगी।
- + 12- निगम अथवा र्चार्टर्ड विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्ति को स्टाल/केंटीन पर उपयोग में लाये जाने वाले /बैचे जाने वाले खाने के पदार्थों की स्वच्छता की जांच कर सकेगा ऐसे पदार्थ अस्वच्छ होने पर उनके बैचे जाने पर रोक लगाये जाने का अधिकार होगा।
- ✓ 13- लाईसेंसधारी अथवा उसके द्वारा कार्यरत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेंगे कि वे साफ सुधरे रहे तथा अन्य यात्रियों की शालीनतापूर्वक सेवा करने को तत्पर रहें।
- ✓ 14- लाईसेंसधारी अथवा उनके द्वारा कार्यरत कोई भी कर्मचारी नशे की हालत में निगम के परिसर में नहीं आवेगा।
- ✓ 15- लाईसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि वो केंटीन/स्टाल/बूथ का उपयोग केवल निर्धारित कार्य के उपयोग में लावेगा। वो ऐसे स्थान को विश्राम स्थल अथवा किसी अन्य अनाधिकृत कार्य के उपयोग में नहीं लावेगा।
- ✓ 16- लाईसेंसधारी उसके स्टाल पर किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं को जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस आदि न तो रखेगा न ही बेचेगा।
- ✓ 17- लाईसेंसधारी केवल उस कीमत पर अधिकृत वस्तुओं का बेचान करेगा जो कीमत निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई है। निगम के द्वारा निर्धारित दरों की एक सूची स्पष्ट तौर पर स्टाल/बूथ में लगावेगा।
- ✓ 18- लाईसेंसधारी उसके द्वारा देय लाईसेंस फीस के अलावा उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को, देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा। लाईसेंसधारी पर लागू लाईसेंस अथवा परमिट आदि लेने की आवश्यकता हो तो वह स्वयं की जिम्मेदारी पर देय फीस का भुगतान कर प्राप्त करेगा।

- 19- लाईसेंसधारी एक सूचना पट्ट अपनी स्टाल पर लगायेगा जिसमें स्पष्ट रूप से उसकी गुणवत्ता के बारे में या वृथ पर पदस्थापित किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो शिकायत पुरितका में शिकायत अंकित कर सकते हैं। यह शिकायत पुरितका निरीक्षण के दौरान निगम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी जो कि इस हेतु अधिकृत है।
- (१६) 20- लाईसेंसधारी अनुज्ञा पत्र के तहत किये जाने वाले व्यवसाय के लिए आवश्यक फर्नीचर, फिक्सर्च, टेबल, कुर्सी, ग्लास, कोकरी, व स्टोर सम्बन्धी सामग्री स्वयं अपने व्यय से लगावायेगा या रखेगा जो कि उसके व्यवसाय के लिए आवश्यक है।
- (१७) 21- लाईसेंसधारी अपने स्टाल में उपयोग किये जाने वाले वर्तन, फर्नीचर व स्टाल में उपयोग में लिये जाने वाले समस्त खाद्य व अखाद्य पदार्थ स्वच्छ तरीके से निगम अधिकारियों के सन्तुष्टी के मुताबिक रखेगा। निगम के अधिकारियों को स्टाल में जाकर इस बारे में मुआयना करने का अधिकार होगा व लाईसेंसधारी इस बारे में कोई एतराज करने का अधिकार नहीं रखेगा। निगम के द्वारा निर्देशानुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा मुआयना करने पर पाई गई त्रुटियों को लाईसेंसधारी स्वयं के खर्च पर निगम के आदेशानुसार दूर करेगा जो कि निगम या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के सन्तुष्टी के मुताबिक होगा।
- (१८) 22- लाईसेंसधारी स्टाल के आस-पास की जगह को साफ सुधरी व स्वच्छ तरीके से रखेगा, बर्तन आदि धाने के पानी को स्टाल से बाहर नहीं फैलायेगा व न ही बर्तनों को स्टाल से बाहर लाकर धोयेगा तथा बाहर कचरा पात्र रखेगा। निगम द्वारा लाईसेंसी को पन्द्रह दिवस का लिखित नोटिस देकर लाईसेंस को निरस्त करने का अधिकार होगा। निगम के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि इसके सम्बन्ध में कोई कारण का उल्लेख नोटिस में करे। निम्नलिखित परिरिथतियों में लाईसेंस को केवल मात्र 48 घन्टों का लिखित नोटिस दिया जाकर निगम के द्वारा निरस्त किया जा सकता है:-
- (क) यदि लाईसेंसधारी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है।
- (ख) यदि लाईसेंसधारी एक माह की अवधि की लाईसेंस फीस जमा कराने में असफल रहा हो।
- (ग) यदि लाईसेंसधारी लाईसेंस की किसी शर्त की पालना करने में असमर्थ रहता है।
- (घ) यदि लाईसेंसधारी ने लाईसेंस प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत निविदा में कोई अधूरी, गलत या भ्रमित जानकारी अंकित की हो। लाईसेंस के निरस्त किये जाने की रिथति में लाईसेंसधारी परिसर को तुरन्त खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। लाईसेंसधारी परिसर में 24 घन्टे के अन्दर समस्त सामान स्टाल से हटा लेगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम का सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा देगा। लाईसेंसधारी

लाईसेंस फीस या अन्य राशि जो निगम को नियमानुसार जमा करवाई अधिकार नहीं होगा। निगम द्वारा स्टाल/केंटीन बन्द किये जाने के दौरान लॉन्च जॉन के लए व्यवसाय बन्द होने के आधार पर भी कोई लाईसेंस फीस या अन्य जमा करवाई गई राशि लाईसेंसधारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। राजका यातायात के निलम्बित होने, यसके अद्यागमन या रुकने के रागत में "रिवर्टन" (रोटर) वरों के देशी रुपों या रथामा होने के कारण व्यवसाय में व्यवधान होने पर लाईसेंसधारी को लाईसेंस फीस या अन्य राशि लाईसेंसधारी को इन परिस्थितियों में लाईसेंस फीस आदि यथावत तौर पर जमा करवानी होगी।

लाईसेंसधारी उसको आवंटित स्टाल/केंटीन पर व्यवसाय व्यय की जोखिम पर करेगा और निगम का लाईसेंसधारी से किसी यात्री/आम जनता या निगम के कर्मचारी द्वारा लियां गया ऋण एवं अन्य सामान के लिए कोई उत्तदायित्व नहीं होगा। लाईसेंसधारी अथवा उसके किसी कर्मचारी या एजेंट के द्वारा दूषित अथवा प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ या अन्य सामान के बेचने या वितरण के फलरवरुप किसी यात्री/निगम कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को हुए चुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के लिए वह व्यय उत्तादायी होगा निगम का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस की शर्तों के अनुरूप असन्तोषजनक या अराफल सेवा निगम की सन्तुष्टि के अनुरूप नहीं होने पर निगम को यह अधिकार होगा कि लाईसेंसधारी के खर्चे व जोखिम पर अन्य इन्तजाम करें एवं ऐसी परिस्थिति में लाईसेंस फीस और धरोहर राशि को जब्त करें ऐसी सूरत में लाईसेंसधारी को, निगम या उसके किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।

लाईसेंसधारी अथवा उसके किसी कर्मचारी की कोई दुर्घटना अथवा किसी अन्य प्रकार से चोट अथवा मृत्यु होने की सूरत में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि अदा करने के दायित्व से निगम मुक्त रहेगा। निगम का ऐसी स्थिति में कोई भुगतान करने का दायित्व नहीं होगा। लाईसेंसधारी अथवा उसके किसी कर्मचारी की लापरवाही से की गई आगार परिस्थर में कोई दुर्घटना होती है और निगम को उसके लिए कोई वर्कमेन कम्पन्सेशन एक्ट कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य किसी कारण से बनती है व भुगतान करना पड़ता है तो ऐसी सूरत में निगम लाईसेंसधारी से भुगतान अथवा खर्च की गई राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

लाईसेंसधारी निविदा में दी गई शर्तों एवं सामग्री के अनुरूप ही अपने केंटीन/स्टाल में व्यवसाय करेगा। अन्य किसी और प्रकार का व्यवसाय/कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा। लाईसेंसधारी द्वारा उसे आवंटित परिस्थर के अलावा निगम की अन्य कोई भूमि/परिस्थर पर अनाधिकृत रूप से उपयोग या उपभोग नहीं करेगा। यदि लाईसेंसधारी स्टाल/केंटीन के

का फर्नीचर य अन्य समस्त सामान अधिकारी स्टाल से हटाकर अपने कब्जे में लेगा व उसको बिकी या अन्य प्रकार से डिस्पोज कर हटाने का अधिकार होगा और निगम ऐसी सूरत में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा । निगम द्वारा इस रायंदेख में बिंदा गया समस्त खर्च सामान की बिकी मूल्य या अमानत राशि में से वसूली का अधिकारी होगा ।

- 13 24- लाईसेंसी के विरुद्ध नामिक लाईसेंस फीस व अन्य देय राशि यकाया रहने पर उसका लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जायेगा तथ यकाया राशि वसूली हेतु जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब करने के विरुद्ध लाईसेंसी न्यायालय में कोई विवाद नहीं ले जा सकेगा ।
- 14 25- यदि स्टालधारी रख्य अपना लाईसेंस चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व इसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रख्तुत करनी होगी । तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब कर ली जायेगी ।
- 15 26- लाईसेंसधारी की लाईसेंस अधिक के दौरान मृत्यु हो जाने की रिप्टि लाईसेंसधारी आश्रित उसकी पत्ती एवं आश्रित बच्चे के नाम पर लाईसेंस की शेष अवधि के लिए लाईसेंस हस्तान्तरण किया जा सकेगा । पत्ती के स्वयं स्टॉल संचालित करने में सक्षम नहीं होने अथवा आश्रित बच्चों के नाबालिंग होने की दशा में पत्ती के शापथ-घन्त घर पत्ती के माता-पिता, भाई बहन या नाबालिंग संतानों के विधिक संरक्षक के नाम लाईसेंस का हस्तान्तरण लाईसेंस की शेष अवधि के लिए किया जा सकेगा । उपरोक्तानुसार सम्बन्धित आगार रक्तरीय समिति का अनुमोदन उस जोन के महा प्रबन्धक (संचालन) से कराने के पश्चात ही मृतक लाईसेंसधारी के लाईसेंस का हस्तान्तरण लागू किया जा सकेगा ।
- 16 27- लाईसेंसधारी पर नोटिस की तामिल पूर्ण समझी जायेगी यदि कोई नोटिस उसके द्वारा दिये गये पते परे प्रेषित कर दिया जाता है अथवा राजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दिया जाता है । यदि लाईसेंसधारी द्वारा निविदा में दिये गये पते में कोई परिवर्तन होता है तो लाईसेंसधारी संबंधित आगार के मुख्य प्रबन्धक को लिखित / रजिस्टर्ड डाक द्वारा परिवर्तित पते से सूचित करना होगा ।
- 17 28- लाईसेंस की अवधि समाप्त होने अथवा निगम द्वारा उपरोक्त कर्तित अधारों पर लाईसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति में लाईसेंसधारी को निगम के परिसर में प्रवेश करने और किसी प्रकार का व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं होगा यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो बिना अधिकार के अतिक्रमण करने वाला अतिचारी होगा जो कि अपराधिक अतिचार के अपराध से दण्डित किये जाने का उत्तरदायी होगा ।
- 18 29- लाईसेंस की इन शर्तों से लाईसेंसधारी के पक्ष में इस परिसर के सम्बन्ध में कोई किरायेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगा और लाईसेंस के निरस्त होने पर निगम को रस्ताल/केंटीन में प्रवेश करने का व पुनः कब्जा लेने का पूर्ण अधिकार होगा ।

- अलादा अनाधिकृत रूप से अन्य कोई परिसर का उपयोग व उपभोग करता है तो उस अवधि का लाईसेंस फीस के पांच गुणा राशि का भुगतान प्रत्येक माह के अनुसार करने का जिम्मेदार होगा व निगम को स्टाल/केंटीन आदि लाईसेंस को ऐसी सूरत में निरस्त करने का अधिकार होगा। इन परिस्थितियों में लाईसेंसधारी द्वारा निगम को देय राशि अथवा जमा कराई गई राशि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या सक्षम व्यक्ति के समक्ष चुनौती देने का या पारापिक पुकारान को प्रमाणित करने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकेगा और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई अधिकार ही होगा।
- 35- संपत्ति में कोई नुकसान लाईसेंसधारी अथवा उसके ऐजेन्ट या कर्मचारी की उस नुकसान का हर्जाना अदा करेगा। ऐसे नुकसान की गणना निगम के द्वारा की जावेगी जिसकी गणना के लिए खर्च की गई राशि की अदायगी का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। उपरोक्त अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट अंतिम होगी तथा लाईसेंसधारी पर साध्यकारी होगी।
- 36- लाईसेंसधारी अथवा उसके कर्मचारी द्वारा निगम द्वारा आवंटित परिसर पर किये जाने वाले अस्थाई निर्माण को दिये गये डिजायन के अनुसार ही किया जावेगा। अपनी स्वेच्छा से आवंटित स्टाल/केंटीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा। अस्थाई निर्माण से संबंधित दिये गये डिजायन के अनुसार ही निर्माण किये जाने वाले व्यय को स्वयं लाईसेंसधारी बहन करेगा। अस्थाई निर्माण निगम के अधिकारी की सन्तुष्टी के अनुरूप होगा। लाईसेंस की अवधि समाप्त होने या अन्य किसी कारण निगम के द्वारा अवाप्ति करने की स्थिति में लाईसेंसधारी खद्य के खर्च पर समूक निर्माण हटा लेगा। लाईसेंसधारी किसी भी सूरत में आवंटित स्थान पर रथाई निर्माण नहीं करेगा।
- 37- सुरक्षा राशि या उसका कोई अंश जंक्शन होने या समायोजित होने या लाईसेंस के प्रावधानों एवं शर्तों के अनुसार निगम द्वारा उपयोग/सम्प्रयोजित किये जाने की सूरत में लाईसेंसधारी लिखित सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर पुनः सुरक्षा राशि जमा करने के लिए बाध्यकारी होगा व सुरक्षा राशि की पूर्ति करेगा। ऐसा नहीं करने पर लाईसेंसधारी का लाईसेंस निरस्त माना जावेगा।
- 38- लाईसेंस की अवधि समाप्ति पर लाईसेंस निरस्त होने पर निगम की कोई बकाया नहीं होने की स्थिति में एक माह के भीतर लाईसेंसधारी को उसकी जगा धसेहर व सुरक्षा राशि लौटायी जा सकेगी। यदि निगम और अनुज्ञा पत्र धारी के मध्य अनुज्ञा पत्र या अन्य किसी देय राशि के सम्बन्ध में कोई विवाद/बकाया राशि रहने पर निगम को उबल धरोहर व सुस्खल शास्त्र या उसका कोई अंश अप्पे जास रखने का अधिकार होगा जब तक की विवाद का अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाये।
- 39- अनुबन्ध के कियान्वयन शर्तों एवं अनुबन्ध के निर्विचलन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाती है तो मामले के निष्ठार के लिए प्रारिकृत निगम के अध्यक्ष एवं निवायक पंच

निर्णायक होंगे। जिनका सिव्यु अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद का पंच निर्णय के लिए प्रतुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकते। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षेत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।

३५

40-

लाईसेंसधारी के द्वारा प्रस्तावित फीस की स्वीकृति निगम के द्वारा किये जाने पर लाईसेंसधारी उसके हक में स्वीकार दर की तीन माह की लाईसेंस फीस के बराबर सुरक्षा की राशि संबंधित मुख्य प्रबन्धक को ड्राफ्ट/पे-आर्डर अथवा नकद इस वारे में लिखित स्वीकृति प्राप्त होने के दो दिवस के भीतर-भीतर जमा करवायेगा। ऐसा नहीं किये जाने पर उसके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि निगम के द्वारा जब्त कर ली जावेगी तथा धरोहर व सुरक्षा राशि पर कोई व्याज देय नहीं होगा। सुरक्षा राशि जमा नहीं करवाये जाने की सूरत में लाईसेंसधारी को स्टाल/कैंटीन घलाने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी। निगम को यह पूर्ण अधिकार होगा कि सुरक्षा राशि में से लाईसेंसधारी वी तरफ यकाया इस अनुबन्ध अथवा अन्य अनुबन्ध वां तहत अथवा अन्य किसी भी राशि का समायोजन इस राशि में से किया जा सकेगा व्यवसाय लाईसेंस जारी किया गया है उस फर्म को अपना प्रारम्भ करना होगा। यदि लाईसेंसी फर्म ऐसा करने में असफल रहती है तो उसका लाईसेंस निरस्त कर दिया जावेगा व धरोहर राशि निगम जब्त कर लेगा। तदुपरान्त निविदा के आधार पर दूसरी उच्चतम बोली याली फर्म को लाईसेंस आवंटित कर दिया जावेगा। फर्म जिसके पक्ष में लाईसेंस जारी किया गया है उसका यह दायित्व होगा कि लाईसेंस फीस का भुगतान उस दिनांक से करें जिसदिनांक से उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है।

41-

फर्म जिसके पक्ष में लाईसेंस जारी किया गया है, को 12 अग्रिम फोस्टेड चैक निगम के कार्यालय में जमा कराने होंगे जो कि प्रत्येक माह की 7 तारीख को देय होंगे। हर एक चैक प्रत्येक माह की लाईसेंस फीस के भुगतान के लिए निगम को देय होगा 12 चैक में से कोई भी चैक अनाद्वित /तिरस्कृत हो जाने की दशा में लाईसेंसी को सात दिवस का रजिस्टर्ड नोटिस /अनाद्वित/तिरस्कृत चैक की राशि एवं बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि जमा कराने हेतु दिया जावेगा। यदि राशि जमा नहीं कराई जाती है तो लाईसेंस समाप्त कर दिया जावेगा। इसके साथ ही निगम नियमानुसार संबंधित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

४३- लाईसेंसी द्वारा नियमित अधिकार में लाईसेंस फीस नियम को छै मैं पर्मा नहीं करपाने वर प्रीतिमन ५०/- की राशि पैक राशि का । २। जो भी अधिक हो। उनी दर से शास्ती ब्याज करानी होगी पिर भी लाईसेंसठारी द्वारा भुगतान नहीं की जानेपर पैक अनादरण होने की स्थानी में लाईसेंसठारी के १फ्लू नियमानुसार न्यायिल कार्यवाही की जाएगी।

३८

४४-

वित्त संकाय भारत तरका राज्य विभाग। न्यू देहली की अटावपना ईड्या-२४/२००७- ईड्या कर द्वारा दिनांक १०.६.०७ से निगम परिसर में आवंटित द्वारा, स्टाल, ब्लॉक जौ साइंसेन्स प्रॉटिट पर आवंटित है, पर ईड्य मासिक लाईसेंस फीस पर लेपा कर, शिक्षा द्वारा ईड्य शिक्षा अधिकार कुल १२.५० प्रीत्यात अंतिरक्तलाईसेंसी अधिकारपना द्वारा निगमकी भुगतानकरना होगा। यद्दूर अंतरसरकार द्वारा समय-२५ दिनों



राजस्थान राज-पत्र
लिखोपांक

गापिकार प्रकाशित

KN1 Ha. KAU CHU मञ्ची 111
POSTAL REGD. NO. J.P.G. 100002-03
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

माघ 5, मंगलवार, साके 1926—जनवरी 25, 2005
Magha 5, Tuesday, Saka 1926—January 25, 2005

भाग 4 (३)

खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी निये नये
कानूनों प्रादेश तथा अधिकृत नाम।

सालान्य प्रधानमंत्री (गुग-2) विभाग

प्राधिकृत नाम

जयपुर, अक्टूबर 23, 2001

एस. एम. 306—राजस्थान सार्वजनिक भू-प्रदानि (अप्राधिकृत प्रधिवासियों की वेदवली) प्रधिनियम, 1964 (राजस्थान प्रधिनियम संख्या 2 सन् 1965) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अनियमों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा अनिवार्य जिला कलगटर प्रथम (प्रशारान), जयपुर को जयपुर जिले में तथा जयपुर जिले के अतिरिक्त अन्य रामस्त जिलों में जिला मुख्यालय पर पदस्थापित सर-डिविजनल मजिस्ट्रेट को सम्बन्धित जिले में, स्थित राजस्थान राज्य स्थापित सर-डिविजनल मजिस्ट्रेट को सम्बन्धित जिले में, स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन नियम, की सम्पत्तियों पर से अप्राधिकृत प्रधिवासीय और अतिरिक्त कमण की वेदवली करने हेतु सम्पूर्ण अधिकारी नियुक्त करती है तथा उन्हें अन्य अधिनियम के प्रत्यंगत अधिकारी इसके द्वारा प्रदत्त अनियमों का प्रयोग करने तथा उन पर प्रधिरोपित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अनियमी प्रदान करती है।

(संख्या प. 5 (७) सा. प्र. 62/75)

राज्यपाल के आदेश से,
विमोद युल्ली,
राजस्थान सचिव।

441

राज्य के द्वाय मुद्रणालय, जयपुर।

इन्होंने परिषद्दन क्राम, जयपुर ।
दिनांक: १३.१०.२ / संघीत/०१/४८

परिक्रमा "8"

दिनांक: - ६.७.००

जार्यता-गाडेश

दिनांक १०.१०.६४ से राजस्थान परिषद्दन क्राम ली स्थापना के सम्बन्ध में अधिनियम लाइन तादाद में सम्पील्या भूमि/भवन क्राम ली अधिकारीत ली गई ही। तत्पश्चात् क्राम ने भी विभिन्न स्थानों पर भूमि/भवन क्राम ली है, जहाँ टैण्डों/शब्दों का निर्भाण द्वारा है। दुष्ट स्थानों पर ये पूर्व में हो जाए थे आ रहे हैं, क्राम के लिए वह टैण्डों पर ये स्थानों ली जाई जीते हैं आधिकार पर दृश्यते जा वांटते हैं। उनमें से जेत तंत्रज्यारियों ने जीती उपरी धाने न्यायालयों के लाइन जार्यता प्राप्त कर देने के लिए एक दृश्यते जीत देना भी बन्द कर रखा है।

इसे लिए क्राम ने राज्य वरागर से तरारी स्थान अधिकृत के अधिकारीयों ने देखली रेंजोंमें अधिनियम १९६४ में संशोधन कर इसे लाइन लाइन अधिनियम के साथ स्थान परिषद्दन क्राम ली जीत देने के लिए दिया था।

राज्य वरागर द्वारा यह सूचित किया गया है कि राजस्थान अधिनियम लंबा १०, १९७७ के द्वारा १९६४ के मूल अधिनियम में उप छण्ड १० निम्नलिखित रूप से लोड़ा गया है, जिसके अधीन यह क्राम भी आता है। अतः आप इस अधिनियम के तहत लार्याही कर सकते हैं। मूल अधिनियम में लोड़ा गया अंश इस प्रलार है:

"जिसी देन्द्री अधिनियम द्वारा लिखी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित और राज्य वरागर के स्थानिकायीन द्वारा उत्तरी द्वारा नियंत्रित किया जाना विभिन्न नियाय की ओर"।

अतः क्राम भू-भवन सम्पील्यों से अनाधिकृत अर्तिश्रण हटाने के लिए लार्याही कार्यान्वयन स्थान अप्राधिकृत अधिकारीयों ली देखली अधिनियम १९६४ के अन्तर्गत राज्य वरागर द्वारा जारी अधिकृता दिनांक २३.४.०१ प्रति लंबान्ध तम्पदा अधिकारी लो सम्पूर्ण विवरण लीहत प्रश्नण देखर अतिश्रण हटाने के लिए लार्याही जारी जायें।

इस दारे में लेख है कि राजस्थान लार्यानि स्थान अप्राधिकृत अधिकारीयों ली देखली अधिनियम द्वारा २ के तहत वीर्णत तम्पदा अधिकारी व क्राम सम्पील्य से ज्ञाधिकृत अधिकारी और अतिश्रण लो द्वारा ५ के अन्तर्गत प्रदत्त शारीकताएँ के तहत द्वारा ५ अनुग्रार अतिश्रण विस्तृत ली लार्याही ले गया अधिकारी के तात्पर्य प्रतरण प्रत्युत करने के सम्बन्ध में १९६६ के क्रामों के अन्तर्गत विभिन्न प्रोफोर्म उपलब्ध द्वारा हुए हैं तथा सम्पदा अधिकारी के तम्भ राजस्थान लार्यानि स्थान अप्राधिकृत अधिकारी अधिकारी ले नियम पक्की द्वारा देखली विभिन्न अधिकारी अधिकारी ली नियुक्ति इस हेतु लारते हुए लार्याही जा लाती हैं।

चलान:- उत्तर वर्णन।